CNR NO.-UPLK04-013677-2024

न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) लखनऊ

उपस्थित–कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

आई0डी0 कोडः–यू0पी0 02127

W/S Case No.-13044/2024

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोगी**

बनाम

अभय प्रताप पुत्र बिच्छी प्रसाद, निवासी–सिसवनिया कोतवाली महराजगंज, जनपद–महराजगंज उत्तर प्रदेश भारत। ....**अभियुक्त**

मु0अ0सं0ः–0577/2022
अन्तर्गत धाराः–186, 228, 352, 353, 354, 354घ, 506, 509 भा0दं0सं0
व धारा–67 आई0टी0 एक्ट
थानाः–कोतवाली,
जनपदः–महराजगंज, उत्तर प्रदेश

अभियोजन की ओर सेः– श्री अजय कुमार यादव व श्री मशिन्दर चौहान अभियोजन अधिकारी

अभियुक्त की ओर सेः– श्री प्रखर मिश्रा, श्री प्रवीण पाण्डेय व श्री वैभव देवसिंह यादव

निर्णय

1ः– प्रस्तुत प्रकरण का विचारण वादिनी मुकदमा सुश्री ईशा अग्रवाल सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद न्यायालय–महाराजगंज की लिखित तहरीर पर पंजीकृत मुकदमा अन्तर्गत धाराः–186, 228, 352, 353, 354, 354घ, 506, 509 भा0दं0सं0 व धारा–67 आई0टी0 एक्ट बाद विवेचना अभियुक्त अभय प्रताप के विरूद्ध आरोप पत्र मु0अ0सं0ः–0577/2022, अन्तर्गत धाराः–186, 228, 352, 353, 354, 354घ ा, 506, 509 भा0दं0सं0 व धारा–67 आई0टी0 एक्ट में न्यायालय प्रेषित किये जाने पर प्रारम्भ हुआ।

List of Events:-

Date	**Important Events**
11.11.2022	Complaint given by the Complainant in Kotwali, Maharajganj

	Police Station against Accused.
11.11.2022	First Information Report was lodged against accused.
29.03.2023	Cognizance taken by The Court A.C.J.M./A.C.J. (S.D.) Maharajganj
19.06.2023	Charge framed against accused U/S. 354, 354D, 509, 352, 353, 506, 186, 228 I.P.C. & U/S 67 I.T. Act by the Court of C.J. (J.D.)/F.T.C. Court No. 1 Maharajganj.
07.02.2024	File is transfer From District Court Maharajganj to District Court Lucknow by the order of Hon'ble High Court Allahabad Criminal Mis. Transfer Application No. 524/2023 Isha Agrawal Vs. State of U.P. & Others order dated 15.12.2023.
12.02.2024	File received in the Court of Special C.J.M. (Custom) Lucknow.
04.03.2024	Examination-in-Chief of Complainant (PW-1) is recorded & time given to accused for Cross-Examination.
26.07.2024	Cross-Examination of P.W. 1 was recorded.
09.04.2024	Examination-in-Chief and Cross-Examination of P.W. 2 was recorded through V.C.
15.05.2024	Examination-in-Chief and Cross-Examination of P.W. 3 was recorded through V.C.
21.06.2024	Examination-in-Chief of P.W. 4 was recorded.
29.06.2024	Examination-in-Chief & Cross-Examination of P.W. 4 was recorded.
08.07.2024	Cross-Examination of P.W. 4 was completed.
05.10.2024	Examination-in-Chief and Cross-Examination of P.W. 5 was recorded through V.C.
22.11.2024	Statement of accused U/S. 313 Cr.P.C. was recorded.
16.01.2025	Examination-in-Chief & Cross-Examination of D.W. 1 was recorded.
12.02.2025	Final argument heard.

2:– **<u>अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के साक्षियों की सूची</u>**

A:– अभियोजन पक्ष के साक्षी:–

क्रम संख्या	अभियोजन साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी व अन्य साक्षी)
1	पी0डब्लू0:–1	सुश्री ईशा अग्रवाल	वादिनी मुकदमा
2	पी0डब्लू0:–2	प्रमोद कुमार सिंह	सेवानिवृत्त कर्मचारी

			(पेशकार) सिविल कोर्ट महराजगंज
3	पी0डब्लू0:–3	रामचन्द्र	कर्मचारी (अर्दली) सिविल कोर्ट महराजगंज
4	पी0डब्लू0:–4	ध्यान सिंह चौहान	विवेचक
5	पी0डब्लू0:–5	महिला कांस्टेबल ज्योत्सना त्रिपाठी	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखिका

B:– बचाव पक्ष के साक्षी:–

क्रम संख्या	प्रतिरक्षा साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी व अन्य साक्षी)
1	डी0डब्लू0:–1	अवनीश पाण्डेय	अधिवक्ता सिविल कोर्ट महराजगंज

C:– न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो:–

क्रम संख्या	न्यायालय साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी व अन्य साक्षी)
	———	———	———

3:– **<u>अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय के प्रदर्शों की सूची</u>**

A:– अभियोजन प्रदर्श:–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श क–1	लिखित तहरीर
2	प्रदर्श क–2 लगायत क–7	सोशल मीडिया प्लेटफार्म वाट्सएप पर अभियुक्त द्वारा किये गये मैसेज की प्रतिया
3	प्रदर्श क–8	वादिनी मुकदमा द्वारा आफिस–इन–चार्ज

		थाना–कोतवाली, जनपद–महराजगंज को प्रेषित पत्र की प्रति
4	प्रदर्श क–9	वादिनी मुकदमा का बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता
5	प्रदर्श क–10	नक्शा नजरी
6	प्रदर्श क–11	फर्द बरामदगी
7	प्रदर्श क–12	आरोप पत्र
8	प्रदर्श क–12	गिरफ्तारी के लिये चेकलिस्ट धारा–41 (ए)(।।) सी0आर0पी0सी0
9	प्रदर्श क–13	भारतीय साक्ष्य विधान की धारा–65ख का प्रमाणीकरण
10	प्रदर्श क–14	एफ0आई0आर0
11	प्रदर्श क–15	सामान्य दैनिकी विवरण की प्रतियां

B:– बचाव प्रदर्शः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
———	———	———

C:– न्यायालय प्रदर्शः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
———	———	———

D:– वस्तु प्रदर्शः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
———	———	———

4:– संक्षेप में वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थनापत्र/तहरीर में उल्लिखित किया गया है कि To The Officer-in-charge P.S. Kotwali Maharajganj. Dated 11 day of November, 2022 Subject:- Assault, threatning, obstruction and Stalking by an Advocate namely Abhay Pratap (Pratap Abhay), practising Lawyer, District

Court, Maharajganj by sending messages from hin facebook account to my facebook account, further text messages from his mobile number 9956530121 to my official mobile number 9415321687 and also by making hus undesirable and innappropriate physical presence by changing gestures and postures, before my court and chamber further creating obstruction and assault in-discharge of judicial function too, in capacity of public servant as a judicial officer. Sir, This is to bring in your notice that on 29.09.2021 first time at about 12.27 AM a message received to me on my facebook account via account of above mentioned named advocate. This is extremly relevant to mention it here that he was never connected with my facebook account or through any social media platform nor ever his friend request was accepted. Despite of this fact he continously sent me messages on facebook, ON 01.11.2021 at about 08.57 PM one message again sent on my facebook, again and again On 02.11.2021 at about 7.49 PM, 04.11.2021 at about 04.31 PM, 06. 12.2021 at about 06.08 AM, 13.12.2021 at about 6.17 AM 25.12.2021 at about 09.12 PM 01.01.2022 at about 09.39 PM, 26.04.2022 at about 10.47 PM, 05.05.2022 at about 07.22 PM 16.07.2022 at about 04.58 AM, and on 17.07.2022 at about 01.58 AM respectively. Several so many messages and text messages have been sent by the aforesaid named advocate, repeatedly one after another with intention to dishonour personally to me as well as to the court through electronic communications despite my clear indication of disinterest and also by making his physical presence before my court and chamber unnecessarily with indecent gestures and postures almost on regular court days, although no case of his was ever listed before my court. It is also informed to you, that when due to mental assault and apprehension of physical assault and torture, 1 blocked his facebook messages due to his indecent and notorious activities then he procured my official mobile number from somewhere and used to sent text messages over the same. The text messages received on my official mobile No. is on 08.11.2022 at about 04.31AM, 04.32 AM, 04.34 AM, 04.34 AM and on 09.11.2022 at about 09.01 AM. Messages and text messages sent by the aforesaid advocate are annexed herewith for your kind perusal. The climex of high handedness reached to the peak when he sent the messages in midnight on 17.07.2022 at about 01.58 AM and also on 08.11.2022 at about 04.31 AM. In addition to the aforesaid, it is also informed to you that the above named advocate also has attempted to paralyse the normal functioning of the judicial work of this court by threatning message on 05.05.2022 at about 07.22 PM in hindi and english (mix), which I write as it is ATTITUDE MEIN KAAM KARNA THIK NHI HAI FOR FUTURE, COURT KI STHITHI KO NORMAL KARNE KI ZARURAT HAI ADHIVAKTAON KE BEECH SANTULIT MAHOL BANANA HOGA, TABHI COURT SAHI DHANG SE CHAL PAYEGI. The aforesaid message apparantly is with a view to create obstruction and assault in discharge of my public duty as a public servant as Judicial Officer. Being a Lady Judicial Officer posted at District Court Maharajganj, firstly I tried my level best to avoid, tolerate and digest the undesired, unwarranted and mischevious messages, undesirable and inappropriate physical behaviour, but as now I find no alternate save and except, to inform you with view to safe prestige and dignity of mine (personally) and in capacity of the judicial officer and judiciary as a whole. I have been living in fear of further transgression and misbehaviour on the part of the abovenamed advocate. Despite my strict and clear disinterest after his extremly inappropriate messages and physical behaviour conduct and his clear

intrusion in my privacy, he has resorted to keep stalking, assaulting and trying to appraoch me. I am extremly worried about my physical and mental safety and well being in court premises and outside as well. It is therefore requested to register a case in appropriate penal sections and relevant acts against the aforesaid named culprit. investigate the same and book the culprit for trial before the court of law and also to implore you to take strict action and to ensure my safety.

5:– उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनांक–11.11.2022 को समय–14:07 बजे थाना–कोतवाली, जनपद–महराजगंज में उपरोक्त घटना के बाबत मु0अ0सं0:–0577/2022, अन्तर्गत धारा:–186, 228, 352, 353, 354, 354घ, 506, 509 भा0दं0सं0 व धारा–67 आई0टी0 एक्ट अभियुक्त अभय प्रताप अधिवक्ता के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

6:– विवेचक ने दौरान विवेचना औपचारिक एवं तथ्य साक्षियों के बयान अंकित किये। घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया। विवेचना सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूरी करने के उपरान्त अभियुक्त अभय प्रताप के विरूद्ध अन्तर्गत धारा:–186, 228, 352, 353, 354, 354घ, 506, 509 भा0दं0सं0 व धारा–67 आई0टी0 एक्ट में आरोप पत्र द्वारा उचित माध्यम सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया।

7:– न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड)/त्वरित न्यायालय कोर्ट नम्बर–1 महराजगंज द्वारा दिनांक–19.06.2023 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार करते हुये विचारण की मांग की।

8:– अभियुक्त द्वारा विचारण की मांग किये जाने पर अभियोजन साक्षियों को तलब किया गया। अभियोजन की ओर से समस्त साक्षीगण पी0डब्लू0–1 ईशा अग्रवाल सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पी0डब्लू0–2 श्री प्रमोद कुमार सिंह, पी0डब्लू0–3 श्री रामचन्द्र, पी0डब्लू0–4 निरीक्षक श्री ध्यान सिंह चौहान पीएनओ नम्बर–980910681 तथा पी0डब्लू0–5 महिला कांस्टेबल श्रीमती ज्योत्सना त्रिपाठी पीएनओ नम्बर–162222861 को परीक्षित कराया गया है।

9:– **पी0डब्लू0:–1 ईशा अग्रवाल पत्नी सारांश शर्मा पुत्री श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, उम्र 34 वर्ष, निवासिनी–जनपद न्यायालय महाराजगंज, वर्तमान पता महानगर मजिस्ट्रेट, जनपद–कानपुर नगर** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि मैं 18 जनवरी 2019 से 9 जनवरी 2023 तक जनपद न्यायालय महाराजगंज में अपर सिविल जज (जू0डि0), न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल जज (जू0डि0) के पद पर कार्यरत थी। जनपद–महाराजगंज के अधिवक्ता अभय प्रताप अपने फेसबुक एकाउण्ट से मेरे फेसबुक एकाउण्ट पर आपत्तिजनक मैसेज व मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से निरन्तर मैसेज भेजते थे। सर्वप्रथम दिनांक–29.09.2021 को रात के 12:27 बजे उनके द्वारा अपने फेसबुक एकाउण्ट से मेरे फेसबुक एकाउण्ट पर मैसेज भेजा गया था तथा अभियुक्त अभय प्रताप मेरे न्यायालय के विश्राम कक्ष के आसपास बिना किसी कार्य व कारण से उपस्थित होकर अशोभनीय भावभंगिमा के साथ न्यायालय के न्यायिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते थे और मेरा मानसिक उत्पीड़न करते थे। अभियुक्त अभय प्रताप कभी मेरे फेसबुक एकाउण्ट या किसी भी सोशल प्लेटफार्म से कनेक्ट नहीं रहे और न ही मेरे द्वारा कभी भी उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया और न ही उनका कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार किया। इसके बावजूद भी दिनांक–29.09.2021 को पहली बार फेसबुक पर मैसेज भेजा गया। दिनांक–01.11.2021 को रात के 08:57 बजे पर, 02.11.2021 को 07:49 पी0एम0 पर, 04.11.2021 को 04:31 पी0एम0 पर, 06. 12.2021 को 06:08 ए0एम0, 13.12.2021 को 06:17 ए0एम0, 25.12.2021 को 09:12

पी0एम0, 01.01.2022 को 09:39 पी0एम0, 26.04.2022 को 10:47 पी0एम0, 05.05.2022 को 07:22 पी0एम0, 16.07.2022 को 04:58 एम0एम0 तथा 17.07.2022 को 1:58 ए0एम0 पर अपने फेसबुक एकाउण्ट से मेरे फेसबुक एकाउण्ट पर **अमर्यादित व अशोभनीय और मेरा मानसिक** उत्पीड़न, मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से मैसेज किया था, जिसमें से दिनांक–26.04.2022 को समय 10:47 पी0एम0 पर यह मैसेज किया गया कि ''स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है, प्राथमिकता स्वास्थ्य ठीक करने की होनी चाहिये काम करने की नहीं। दिन प्रतिदिन फलाहार पर निर्भर रहना शरीर कमजोर होने का कारण हो सकता है। मेरे ख्याल से फूड भी लेना चाहिये। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जायें "God Bless You" पुनः 05.05.2022 को शाम 19:22 बजे पर उसने यह मैसेज किया कि "Attitude mai kam karna theek nahi hai, For future Court" की स्थिति को normal करने की जरूरत है अधिवक्ताओं के बीच संतुलित माहौल बनाना होगा, तभी कोर्ट सही ढंग से चल पायेगी।'' पुनः 17.07.2022 समय 1:58 ए0एम0 पर उसने मेरे फेसबुक एकाउण्ट पर मैसेज किया "I Love You Isha" इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुझे पाने की कोशिश प्रयास करता रहूंगा और हो सके तो सातों जन्म तक।'' मैं अभियुक्त अभय प्रताप के इस आपत्तिजनक मैसेज से मानसिक रूप से तंग आकर और न्यायालय के **न्यायिक कार्यों में व्यवधान महसूस होने के** उपरान्त मैनें उसके फेसबुक एकाउण्ट को ब्लाक कर दिया, फिर भी अभय प्रताप अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसका फेसबुक एकाउण्ट अभय प्रताप के नाम से था, फिर अभियुक्त/अधिवक्ता अभय प्रताप मेरा आफिसियल मोबाइल नम्बर (सी0यू0जी0) 9415321687 प्राप्त कर उस पर Text Msg भेजने लगा। Text मैसेज जो मेरे आफिसियल मोबाइल नम्बर पर आया वह मोबाइल नम्बर 9956530121 से आया। Text msg दिनांक–08.11.2022 को 04:31 ए0एम0 पर फिर 04:32 ए0एम0, 4:34 ए0एम0 व दिनांक–09.11.2022 को सुबह 09:01 पर आया था। दिनांक–08.11.2022 को समय 04:31 ए0एम0 पर उसका Text Msg यह था "Good Morning" आप कहां हैं उसी दिनांक को 04:32 ए0एम0 पर उसने यह Text Msg भेजा कि ''मुझे बहुत फिक्र होती है आपकी'' इसी दिनांक को 04:34 ए0एम0 पर यह Text Msg भेजाा कि "I Love You Baby" मैनें अभियुक्त/अधिवक्ता अभय प्रताप के इस द्रष्टव्य को महिला अधिकारी होने के कारण जहां तक संभव हो सका बर्दाश्त करने की कोशिश की, किन्तु कोई विकल्प आता न देखकर अपनी महिला होने की गरिमा, अपने पद एवं सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था को बचाने एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से **दिनांक–11.11.2022 को थाना–कोतवाली महाराजगंज में टाइप किया हुआ अंग्रेजी में प्रार्थनापत्र अपना हस्ताक्षर बनाकर दिया था।** प्रार्थनापत्र पत्रावली में कागज संख्या 4क/5 लगायत 4क/6 शामिल मिसिल पत्रावली है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक करती हूं, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। प्रार्थनापत्र के साथ मैनें 4 पृष्ठ फेसबुक मैसेज का स्क्रीनशाट लेकर उसकी प्रिंट आउट प्रति व 02 पृष्ठ Text Msg की स्क्रीन शाट लेकर उसकी प्रिंट आउट पर अपना लघु हस्ताक्षर बनाकर संलग्न किया था, जो पत्रावली में कागज संख्या 13ख/13 लगायत 13ख/18 संलग्न है, जिस पर बने अपने लघु हस्ताक्षर की पुष्टी करती हूं, जिस पर **प्रदर्श क–2 लगायत प्रदर्श क–7** डाला गया। अभियुक्त/अधिवक्ता अभय प्रताप द्वारा मेरे **डिस इन्ट्रेस्ट (Disinterest) शो के पश्चात भी अपनी शारीरिक व मैसेजेज से मेरी Privacy को Invade** किया गया, जिससे मुझे काफी मानसिक आघात पहुंचा। अभियुक्त/अधिवक्ता के इस उक्त कृत्य से मेरे न्यायालय की न्यायिक कार्य को **सुचारू रूप से चलाने में अवरोध उत्पन्न किया गया।** मैनें इस घटना की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को पत्र द्वारा प्रेषित की थी। अभियुक्त के विरूद्ध थाना–कोतवाली महाराजगंज में पुनः 14.11.2022 को मेरे द्वारा एक पत्र प्रेषित कर पुनः सूचित किया गया कि उपरोक्त

अभियुक्त/अधिवक्ता अभय प्रताप के द्वारा या उनके किसी साथी के द्वारा मेरे आफिशियल वाट्सएप पर पुनः मैसेज भेजे जा रहे। उपरोक्त वाट्सएप मैसेजेज की स्क्रीन शाट का प्रिन्ट आउट उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न कर भेजा था। उपरोक्त मैसेज जो दिनांक–12.11.2022 को **भेजे गये थे वो इस प्रकार थे "हाय एफआईआर की पीडीएफ कापी (एफआईआर दिनांक–11.11.2022) और फिर धन्यवाद अंकित किया था/लिखा था।"** उपरोक्त पत्र दिनांकित–14.11.2022 को जो प्रार्थनापत्र थाने में दिया था वह पत्रावली में कागज संख्या 15ख/1 संलग्न है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टी करती हूं, जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया, जो स्क्रीन शाट Text Msg का सम्मिट किया गया वह कागज संख्या–13ख/19 पत्रावली में संलग्न है। उपरोक्त वाट्सएप मैसेज मेरे आफिशियल नम्बर पर फोन नम्बर–8423869745 से भेजा गया था। दिनांक–14.11.2022 को मेरे न्यायालय कर्मियों के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि अभियुक्त/अधिवक्ता अभय प्रताप न्यायालय में उपस्थित आकर यह कहा कि मैं वकील हूं। **मैडम को कह दो कि अपना मुकदमा वापस ले लें।** अच्छा नहीं होगा। पुलिस द्वारा मेरा धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बयान दिनांक–14.11. 2022 को न्यायालय समयोपरान्त अंकित कराया गया था। विवेचक को मैनें अपने मोबाइल पर आये Text Msg और फेसबुक आई0डी0 पर भेजे गये अशोभनीय/आपत्तिजनक मैसेज के बाबत 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में दिया था।

पुलिस ने मेरा धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान दिनांक–15. 11.2022 को महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कराया था। धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पत्रावली में सील बन्द स्थिति में संलग्न है, जो माननीय न्यायालय की अनुमति से खोला गया। बयान पर चस्पा अपनी फोटो व हस्ताक्षर की तस्दीक करती हूं व अपने बयान को भी पढ़कर तस्दीक करती हूं। धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान 03 वर्क में संलग्न है, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया।

10:– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने सशपथ बयान किया कि मेरा नाम ईशा अग्रवाल है। मैं ज्यूडिशियल सर्विस में 18.11.2019 को ज्वाइन हुई हूं।

प्रश्नः– आपने ज्यूडिशियल सर्विस अपने एजूकेशन समाप्त करने के काफी समय बाद ज्वाइन की? (Objection Raised. Question is irrelevant and strucked off)

मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी एफ0आई0आर0 पंजीकृत होने के उपरान्त हुई है।

प्रश्नः– आपका विवाह इस एफ0आई0आर0 के पंजीकृत होने के कितने दिन बाद हुई थी? (Question is irrelevant)

इस एफ0आई0आर0 को दर्ज कराने का मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं था।

प्रश्नः– क्या आपके पति द्वारा यह दबाव बनाया गया था कि शादी एफ0आई0आर0 दर्ज होने के बाद ही होगी। (सवाल Scandelour प्रकृति का है तथा महिला के सम्मान को गिराने की प्रकृति का है। अतः सवाल को sturcked off किया जाता है)

प्रश्नः– आपका विवाह परिवार द्वारा तय किया गया था या प्रेम विवाह है?

(सवाल पत्रावली से सम्बन्धित न होकर व्यक्तिगत प्रकृति का है, जिसका पत्रावली से सम्बन्ध नहीं है Irrelvant sturcked off)

मेरे द्वारा अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण हेतु प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया था, जो मेरे द्वारा जमानत निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र में आधार लिये गये थे वह पत्रावली पर दाखिल हैं। (matter of record)

प्रश्नः– क्या आपने इस प्रकार को कोई आधार जमानत निरस्तीकरण में लिया था कि अभियुक्त के जमानत पर बाहर रहने पर मेरा वैवाहिक जीवन खतरे में है?

उत्तरः– मैनें जो भी आधार जमानत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया वह सब जमानत निरस्तीकरण आदेश में उपलब्ध है। अभियुक्त अभय प्रताप ने मुझे पहला मैसेज दिनांक–29.09.2021 को भेजा था। मैनें यह मैसेज जब मैं अपने कार्य सरकार से खत्म के उपरान्त देखा था। (फ्री टाइम में बोला गया) मैं अपने न्यायिक कार्य से कब खाली होती हूं, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। मैं मैसेज देखने का निश्चित समय नहीं बता सकती हूं। दिनांक–29.11.2021 को अभियुक्त अभय प्रताप ने मैसेज में हाय लिखकर भेजा था। यह प्रथम बार नहीं है कि किसी व्यक्ति ने मुझे हाय लिखकर मैसेज भेजा हो। अभियुक्त द्वारा मुझे दूसरा मैसेज 01.11.2021 को भेजा गया था, जिसमें ''गुड नाइट'' लिखा था। इन दो दिनांकित मैसेज को किसी को कम्यूनिकेट नहीं किया था क्योंकि इस प्रकार के फार्मल्स मैसेज आते रहते हैं।

प्रश्नः– अभियुक्त के द्वारा जरिये मैसेज में किन अपशब्दों का प्रयोग आपके लिये किया गया?

उत्तरः– दिनांक 05 मई 2022 को अभियुक्त यह मैसेज कि "Attitude" में काम करना ठीक नहीं है For Future कोर्ट की स्थिति को नार्मल करने की जरूरत है। तभी कोर्ट सही ढंग से चल पायेगी, फिर 17 जुलाई 2022 का मैसेज "I Love Your ISHA" इस जन्म नहीं तो हर जन्म तुम्हें पाने का कोशिश प्रयास करता रहूँगा और हो सके तो सातों जन्म यह मैसेज फेस बुक पर आये थे तथा मेरे आफीसियल मोवाइल नं0 [CUG No.] 9415321687 पर 8.11.2022 को अभियुक्त ने मुझे मैसेज किया ''आप कहॉ हैं मुझे बहुत फ्रिक होती है आपकी I LOVE YOUR BABY.

प्रश्नः– आप सोशल मिडिया के किस–2 प्लेटफार्म पर हैं ?

उत्तरः– प्रस्तुत प्रकरण में मात्र फेस बुक मीडिया प्लेटफार्म से संबंधित है। अन्य प्लेटफार्म की जानकारी देना मैं उचित नहीं समझती हूं क्योंकि यह मेरी निजता से संबंधित प्रश्न है।

प्रश्नः– क्या आप फेस बुक व वाट्सएप के अलावा किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म में है या नहीं?

उत्तरः– मेरे द्वारा मेरे व्यक्तिगत वाट्सएप के सम्बन्ध में पत्रावली में कोई दस्तावेज तथा तथ्य अंकित नहीं किया गया है। यह मेरी निजता से संबंधित प्रश्न है।

मैंने तहरीर अंग्रेजी में अपने हस्ताक्षर में टाइपशुदा एस0एच0ओ0 कोतवाली महाराजगंज को भेजी थी। **यह तहरीर मैंने स्वयं टाइप की थी।** मैंने यह तहरीर अपने अर्दली के माध्यम से लिफाफे में भेजी थी। मुझे थाने से F.I.R. कापी न्यायालय कर्मी द्वारा प्राप्त करायी गई थी। क्या कोई तहरीर की रिसीविगं ली गई थी या नहीं मुझे याद नहीं है।

प्रश्नः– तहरीर संबंधी रिसीविगं के बारे में आपको याद नहीं जैसा कि आपने कहा तो क्या आप घटना संबंधित या F.I.R. में वर्णित तथ्यों को भूल रही हैं ?

उत्तरः– मुझे घटना के संबंध में पूरी जानकारी है कि मैंने F.I.R. में क्या लिखाया है। मैंने अपनी F.I.R. में घटना से संबंधित समस्त मैसेजेज तथा जो भी कृत्य मेरे आंखों के समक्ष हुये उसका उल्लेख किया है। मेरे चैम्बर के दरवाजे पर परदा था। मेरा चैम्बर व न्यायालय कक्ष एक ही मंजिल पर था परन्तु बीच में गैलरी होने के कारण लगभग 50 कदम की दूरी थी। मेरे द्वारा जिस गैलरी का उल्लेख किया गया है वह सभी के लिए खुला है यथा न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी व न्यायिक अधिकारीगण के लिए है। मेरे चैम्बर में ए.सी. नहीं लगा था। कोर्ट के दरवाजे से चैम्बर बाहर से दिखता था। अगर मेरे चैम्बर का परदा हटे तो चेम्बर अन्दर से दिखायी देगा। चैम्बर के बगल में ही स्टेनो रूम है।

प्रश्नः– अभियुक्त अभय प्रताप आपके चैम्बर के पास कब आये थे?

उत्तर–यह मेरे चैम्बर के पास कब आये यह मैं नहीं जानती परन्तु जब भी मैं बाहर निकलती थी तो अधिकतर समय अभियुक्त अभय प्रताप गैलरी में खड़े रहते थे।

प्रश्नः– क्या आपके अलावा अभियुक्त को किसी और व्यक्ति ने भी गैलरी में खड़े देखा?

उत्तरः– यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि मैंने अभय प्रताप को गैलरी में देखा था। किसी के द्वारा देखा गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

प्रश्नः– क्या आप न्यायलय कक्ष में अकेली बैठती हैं?

उत्तरः– बतौर पीठासीन अधिकारी मैं अपने न्यायालय कक्ष में अकेली बैठती हूं।

न्यायालय में न्यायालय कक्ष में न्यायिक कार्य सम्पादित करते समय मेरे अलावा न्यायिक कर्मचारीगण, अधिवक्तागण व अन्य लोग मौजूद होते थे। मैं न्यायलय कक्ष में न्यायिक कार्यवाही हेतु नियमानुसार बतौर पीठासीन अधिकारी अपना कार्य सम्पादित करती थी। मैं न्यायालय कक्ष में न्यायिक कार्य के अलावा कभी नहीं बैठती थी।

प्रश्नः– जब अभियुक्त ने आपके न्याय कक्ष में आपत्तिजनक जैसचर बनाये तो आपके अलावा वहॉ कितने लोग मौजूद थे?

उत्तरः– मैं गिनकर नहीं बता सकती क्योंकि अत्यधिक संख्या में लोग न्यायालय कक्ष में मौजूद रहते थे।

प्रश्नः– इस इन अधिक लोगों में आपके पेशकार व अर्दली भी होते थे?

उत्तरः– जी हॉ।

अभियुक्त अभय प्रताप मेरे न्यायालय कक्ष में कब आते थे इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है, परन्तु अधिकतर समय वह न्यायालय कक्ष में आकर खड़े रहते थे। मैनें घटना की सूचना प्रोटोकाल का पालन करते हुए अपने उच्चाधिकारियों को दी थी जो कि प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन है। मैंने इस घटना की सूचना नियमानुसार अपने उच्चाधिकारियों को समय से दी थी और तारीख मुझे याद है। चूॅकि प्रकरण प्रशासनिक स्तर पर लम्बित है। अतः मैं इसका दिनांक नहीं बताना चाहती हूॅ। प्रोटोकाल के अनुसार घटना की सूचना मैंने अपने उच्च अधिकारियों को दी थी, लेकिन स्थानीय बार ऐसोसिएशन मेरे प्रोटोकाल के अन्तर्गत न आने के कारण उनको नहीं दी थी। प्रश्न कि घटना की सूचना मैंने अपने उच्च अधिकारियों को F.I.R. के पहले या F.I.R. के उपरान्त दी थी का जबाव देना जूडिशियल प्रोटोकाल को दृष्टिगत रखते हुए मैं देना उचित नहीं समझती हूॅ क्योंकि मामला प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन है। जब भी मैं न्यायालय कक्ष से अपने विश्राम कक्ष जाती हूॅ या विश्राम

कक्ष से न्यायलाय कक्ष जाती हूॅ तब मेरा अर्दली कभी साथ में रहता है और कभी साथ में नहीं रहता है।

प्रश्नः– क्या आप ज्यूडिशियल सर्विस में आने से पहले अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत रही हैं?

उत्तरः– पंजीकृत रही हूं।

प्रश्नः– क्या आपने अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के उपरान्त किसी भी न्यायालय में प्रेक्टिस की है?

[अभियोजन द्वारा आपत्ति की गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि प्रश्न Relevant है, परन्तु उनका प्रश्न अगला है कि क्या पीड़िता अधिवक्ता के रूप में अभि0 अभय प्रताप से कभी मिली है। न्यायालय द्वारा दोनों का अवलोकन करने के उपरान्त यह उचित पाती है यदि पीड़िता चाहे तो उपरोक्त दोनों प्रश्नों का जबाव वह दे सकती है]

उत्तरः– पीड़िता द्वारा प्रश्न पंजीकरण के उपरान्त प्रेक्टिस किये जाने के संबंध में जो पूंछा गया था उसका जबाव देना उचित नहीं है क्योंकि घटना से पहले कभी भी अभि0 अभय प्रताप को न देखा और न कभी मिली हूॅ।

प्रश्नः– क्या आप अपना फेस बुक व अन्य सोशल एकाउन्ट अपनी किस डिवाइस पर चलाती हैं?

उत्तरः– मैं सुविधानुसार अलग–अलग डिवाइस पर फेस बुक मीडिया प्लेटफार्म पर करती हूॅ। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के संबंध में अपनी निजता का ध्यान रखते हुए जबाव देना उचित नहीं समझती हूॅ।

मेरा फेसबुक एकाउन्ट ज्यूडिशियल सर्विस ज्वाइन करने से पहले का है। मैं यह फेसबुक एकाउन्ट ज्यूडिशियल सर्विस में आने के बाद आज भी उपयोग कर रही हूॅ। अभियुक्त को जब गिरफ्तार किया गया था तब मैं E.L. पर थी। अभियुक्त को पुलिस वाले F.I.R. दर्ज होने से पूर्व पकड़कर मेरे चैम्बर में नहीं लाये थे। मेरे न्यायालय कक्ष के बाहर, चैम्बर के बाहर एवं गैलरी में सी0सी0टी0वी0 कैमरा घटना के समय लगे थे या नहीं मुझे जानकारी नहीं है।

प्रश्नः– आपको 14–11–2022 को आपके न्यायालय के किन कर्मियों द्वारा सूचित किया गया कि अभियुक्त अभय प्रताप आपके न्यायालय में उपस्थित होकर आपको धमकी दे रहा है?

उत्तरः– मुझे मेरे न्यायालय के पेशकार द्वारा बताया गया। जिस अधिवक्ता के ऊपर आपने F.I.R. किया है उनके द्वारा धमकी दी जा रही है कि मैडम से कह दो अपना मुकदमा वापस ले लें। मैं वकील हूॅ। मेरा कुछ भी नहीं होगा।

मैं घटना के समय उस जिले में पदास्थापित अकेली महिला अधिकारी नहीं थी मैं अन्दाजे भी नहीं बता सकती वहॉ कितनी महिला न्यायिक अधिकारी पदस्थ थी। मुझे विशाखा गाइड लाइन की जानकारी है।

प्रश्नः– क्या आपने सैक्सुअल हरसमेन्ट ऑफ वूमेन एक्ट वर्क प्लेस एक्ट 2 व 3 के अन्तर्गत स्थापित Internal कमेटी में इस घटना की शिकायत की थी?

उत्तरः– मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई थी और F.I.R. पंजीकृत करायी गई थी–

उक्त एक्ट में गठित Internal कमेटी की जानकारी मुझे है। मैंने 17 जुलाई 2022 का आपत्तिजनक मैसेज देखने के बाद मैंने फेस बुक मैसेन्जर पर अभियुक्त को ब्लॉक कर दिया था। मैंने माननीय उच्च न्यायालय को F.I.R. की सूचना जरिये पत्र नियमानुसार उसी दिवस को दी थी। मेरे न्यायिक कार्य के सम्पादन के दौरान अधिवक्ताओं से व्यवहार अच्छा था। मेरा न्यायिक कार्य के दौरान डायस पर अधिवक्ताओं से कोई भी विवाद नहीं हुआ।

प्रश्नः– क्या कभी अधिवक्ताओं द्वारा आपके न्यायालय का बहिष्कार व हड़ताल की गई ?

उत्तरः– That the matter of Record.

डायस पर मेरी बतौर पीठसीन अधिकारी किसी अधिवक्ता के साथ वर्वल वाद विवाद कभी नहीं हुआ और न भी कोई कार्यवाही की है।

प्रश्नः– क्या आपके द्वारा कभी अन्य अधिवक्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की है ?

उत्तरः– मैंने प्रशासनिक स्तर पर एक सूचना एक अधिवक्ता के आचरण के संबंध में अपने उच्च अधिकारियों को दी थी जब मैं पीठसीन अधिकारी A.C.J (J.D.) - 2 थी। मामला प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन है। इसलिए मैं अधिवक्ता का नाम नहीं बता सकती।

प्रश्नः– क्या उन अधिवक्ता का नाम डा0 सचिन चौधरी है?

उत्तरः– मैं इसका पूर्व में उत्तर दे चुकी हूँ।

प्रश्नः– आपके द्वारा विशिष्ट रूप से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि उस अधिवक्ता का नाम डा0 सचिन चौधरी है? हॉ, अथवा न [पीड़ित द्वारा पूर्व में उत्तर दिया जा चुका है इसके संबंध में तथा वह अतिरिक्त जबाव नहीं देना चाहती है। तथा उनका सवाल क्लोज किया जाता है।]

प्रश्नः– क्या डा0 सचिन चौधरी के विरुद्ध आपने किसी प्रकार की कन्टेम्प्ट व अन्य प्रकार की कार्यवाही की है?

[अभियोजन द्वारा सवाल पर आपत्ति की गई– Irrelvance के आधार पर न्यायालय द्वारा आपत्ति को उचित पाया गया तथा प्रश्न Strucked off]

अभियुक्त अभय प्रताप को गिरफ्तार करने के उपरान्त न्यायिक अभिरक्षा में भेजने से पूर्व इसलिए शिनाख्त नहीं की थी क्योंकि मैं E.L. पर थी।

प्रश्नः– क्या आपने Hon'ble सुप्रीम कोर्ट के रिफरेन्स Dt. 7 May 1997 Re-statement of values of Judicial Life जो कि Full Court रिफरेन्स द्वारा मान्य सर्वोच्च न्यायालय ने adopt किया गया है उसके बारे में जानकारी है?

उत्तरः– मैंने पढ़ा नहीं है।

प्रश्नः– क्या यह सत्य है कि आप काफी निर्भीक महिला अधिकारी हैं और इस चीज का मैसेज प्रदेश भर की ज्यूडिशियरी एवं अपने उच्चाधिकारियों को देना चाहती हैं?

उत्तरः– जी नहीं। मैं ऐसा कोई भी संदेश किसी को भी नहीं देना चाहती। मेरे द्वारा बतौर पीड़िता यह मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्रश्नः— आपने हड़ताल के विषय में कहा था कि यह Matter out Record है यह किसके रिकार्ड में मिलेगा? [अभियोजन द्वारा आपत्ति की गई कि प्रश्न घटना से संबंधित नहीं है irrelevant है। न्यायालय उक्त तथ्य से संतुष्ट है]

यह कहना गलत है कि इस F.I.R. को लिखाने के बाद मेरी न्यायिक जगत में काफी प्रशंसा हुई और काफी लोगों ने बधाई दी—यह गलत है कि मुझे किसी ने बधाई दी हो।

11:— पी0डब्लू0:—2 प्रमोद कुमार सिंह पुत्र स्व0 जमुना सिंह, उम्र 60 वर्ष, निवासी—मोहल्ला शास्त्री नगर कस्बा महाराजगंज सेवानिवृत्त कर्मचारी सिविल कोर्ट महाराजगंज ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया किः—मैं ईशा अग्रवाल Civil Judge (J.D.) का पेशकार था, घटना के समय। 7 महीने करीब मैं उनके साथ कोर्ट में था। तारीख घटना की याद नहीं। एक दिन कोर्ट चल रही थी कोतवाल साहब एक आदमी को लेकर कोर्ट में आये कि यह वही आदमी है जो जज मैडम के फोन पर मैसेज कर रहा है। गलत मैसेज कर रहा था। मुझे उस समय उसका नाम नहीं पता था। लोगों द्वारा मालूम हुआ कि उस आदमी का नाम अभय प्रताप है। पेशे से वकील है। मैंने इस वकील को मजिस्ट्रेट के चैम्बर में आते जाते कभी नहीं देखा। हमें जानकारी थी कि मजिस्ट्रेट मैडम ने इनके खिलाफ मुकदमा किया है। केस की पैरवी में ऐसे ही कोर्ट में आते थे। वकील साहब ने मेरे सामने मैडम को कोई धमकी नहीं दी। मुझे जो भी घटना हुई दूसरों से पता चली। मुकदमा दर्ज होने के बाद एक बार दरोगा जी का फोन आया था मात्र मेरे पिताजी का नाम पूंछा था। हमें नहीं जानकारी हो पाई कि मैडम घटना की वजह से तनावगस्त हैं। मुकदमा दर्ज होने की बात मैडम से ही पता चला। मैसेज जो भेजे मैंने नहीं देखा। किसी ने नहीं बताया ना ही मुझे पता उन मैसेज में क्या लिखा। बस गलत मैसेज भेजने का कथन है। जब उस आदमी को पकड़ा तब मैडम Court में बैठी थीं।

12:— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने सशपथ बयान किया कि गवाह V.C. से उपस्थित है। पुलिस ने मुझसे मिलकर कभी बयान नहीं लिया। अभि. अभय प्रताप F.I.R. दर्ज होने के पूर्व या उपरांत मुझसे ना मिले ना धमकाया। ईशा अग्रवाल मैडम ने कभी उनके मोबाइल पर अभि. द्वारा भेजे जा रहे मैसेज के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मैंने अभि. को मैडम के चैम्बर के पास अनावश्यक रूप से खड़े हुए कभी नहीं देखा। मैंने नहीं देखा अभि. ने कभी कोई गलत इशारा या गलत तरीके से देखा हो मैडम को। चूंकि पेरेन्ट कोर्ट थी भीड़ रहती थी। विवेचक ने जो बयान केस डायरी में बयान अंकित किया है उसमें क्या लिखा मुझे पता नहीं। विद्वान अभियेाजन अधिकारी तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मुख्य परीक्षा में सवाल पूँछे गये।

यह बयान मेरे द्वारा Vedio Conferencing द्वारा अंकित किया गया।

13:— पी0डब्लू0:—3 रामचन्द्र पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद उम्र—55 वर्ष निवासी टेड़वा कुटी थाना—कोतवाली जनपद—महाराजगंज मूल पता—ग्रा0पो0 चखनी भूमिहारी पट्टी जनपद—कुशीनगर (थाना नेबुआ नौरेगिया) ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक बयान किया किः—मैं 6 जुलाई 2022 से अर्दली के पद पर सिविल जज (जू0डि0) के पद पर कार्यरत था। मैं मजिस्ट्रेट साहिबा ईशा अग्रवाल जी का भी अर्दली रहा। मैं इनके साथ 6 July 2022 ls 9 Jan 2023 तक रहा। मजिस्ट्रेट साहिबा सुश्री ईशा अग्रवाल जी के साथ जो घटना हुई उसकी कोई जानकारी नहीं थी यह जानकारी तब हुई जब मुझसे दरोगा जी ने मेरे पिता जी का नाम पूंछा। मैं अभय प्रताप वकील साहब को नहीं जानतां दरोगा जी ने ही घटना की जानकारी दी व गवाही के लिए बताया। दरोगा जी ने मुझसे कोई जानकारी नहीं ली केवल मेरा व मेरे पिता जी का नाम

पूंछा। मजिस्ट्रेट साहिबा कोई खास परेशान या तनाव में नहीं दिखती थी। अभियुक्त अभयप्रताप तात्कालिक अधिवक्ता द्वारा भी यह कभी नहीं बताया गया कि कोई मुकदमा लिखा गया है।

उक्त साक्षी को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

14:– विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से पुनः परीक्षा की गयी, तो उपरोक्त साक्षी ने बयान किया कि–मैं अधिवक्ता अभय प्रताप को देखा होगा लेकिन जानता नहीं हूं। मैं सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता। मेरा सामने घटना से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं है। अग्रवाल साहब के मुकदमें में गवाही दे रहा हूं। नोटिस से जानता हूं। दरोगा जी ने जब मेरे पिता का नाम पूंछा, तब पता चला कि ईशा अग्रवाल साहब ने मुकदमा लिखाया है। दरोगा जी ने मुझसे यह बताया कि ईशा अग्रवाल साहब ने किसी के खिलाफ मुकदमा लिखाया है। दरोगा जी ने मेरे बयान में यह लिख लिया है कि अभय प्रताप न्यायालय कक्ष में आकर मुझे व पेशकार को सुनाकर कह रहे थे कि मैडम ने जो मुकदमा लिखाया है वापस ले लो मेरा कुछ नहीं होगा उनको देख लूंगा। दरोगा जी मेरा यह बयान कैसे लिख लिए हैं मैं यह नहीं बता सकता। दरोगा जी मेरे बयान में यह भी लिख लिए है कि दि0 12/11/22 को हमें पता चला कि अभय प्रताप वकील द्वारा उन्हें आपत्तिजनक मैसेज मोबाइल फोन से किए जाते थे, यह बयान दरोगा जी ने कैसे लिखे मैं नहीं बता सकता। दरोगा जी मेरे बयान में यह लिख लिए हैं कि अभय प्रताप वकील साहब का कोई मुकदमा मैडम के न्यायालय में नहीं होने पर भी अक्सर न्यायालय में बिना किसी न्यायिक कार्य के आकर खड़े रहते थे तथा एकटक मैडम की तरफ देखते रहते थे व चैम्बर की तरफ भी मैंने आते जाते व दरवाजे के पास खड़े रहते देखा है तो यह बयान दरोगा जी ने कैसे लिख लिए मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि चूॅकि वकील साहब अभय प्रताप वहीं के हैं उनके डर व भय से मैं यह झूंठी गवाही दे रहा हूं। यह भी कहना गलत है कि मजिस्ट्रेट साहिबा ने मोबाइल पर अभय प्रताप वकील साहब अश्लील व आपराधिक मैसेज भेजते थे। यह कहना गलत है कि मैंने वकील साहब से पैसा ले लिया है इसलिए सही बयान नहीं दे रहा हूं।

15:– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने सशपथ बयान किया कि दरोगा जी मेरे पिता का नाम मुझसे मिलकर पूंछे थे। दरोग जी मुझसे आईडी कार्ड नहीं मांगा था।

16:– पी0डब्लू0:–4 ध्यान सिंह चौहान निरीक्षक वर्तमान तैनाती क्राइम ब्रांच गोरखपुर तत्कालीन विवेचक थाना महाराजगंज ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक बयान किया कि:–सी0डी0 नम्बर–01 11 नवम्बर 22 को मेरे द्वारा नकल चिक, नकल तहरीर अंग्रेजी टाइपशुदा मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। रपट नं0 41 दिनांक 11.11.2022 का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। C.D. नं0–2 में अभियुक्त अभय प्रताप की तलाश की गई। अभय प्रताप मुझे मिले थे मुझे याद नहीं है।

मैं दिनांक 11.11.2022 को थाना–कोतवाली महाराजगंज में निरीक्षक अपराध के पद पर तैनात था। दिनांक 11.11.2022 को अ0सं0 577/2022 की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी– मैंने C.D.I में नकल F.I.R., कायमी मुकदमा का विवरण व F.I.R लेखिका महिला कान्स्टेबिल ज्योत्सना का बयान लिखा था। पर्चा नं0–2 दिनांक 13–11–2022 को किता किया था जिसमें वादिनी मुकदमा तलाश व अभियुक्त अभय प्रताप के उपस्थित आने पर धारा 41(1) Cr.P.C. की नोटिस तामील करायी गई। पर्चा नं0 3 दिनांक 14–11–2022 को किता किया था।

(अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा गवाह के द्वारा/विवेचक द्वारा मुख्य परीक्षा में पूंछे गये सवालों का जबाव केस डायरी व संलग्नक देखकर नहीं दिया जा सकता। साक्षी औपचारिक (विवेचक) गवाह है। धारा–159 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साक्षी अपनी स्मृति अपने लेख को देखकर ताजा कर सकता है। साक्षी को केस डायरी/संलग्न को देखकर मुख्य परीक्षा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार आपत्ति निस्तारित)

पर्चा नं0–3 में मेरे द्वारा पेशकार प्रमोद कुमार सिंह, अर्दली रामचन्द के बयान अंकित करते हुए वादिनी की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल कर नक्शा नजरी तैयार किया गया है तथा महिला उपनिरीक्षक पूनम यादव के द्वारा वादिनी मुकदमा का बयान धारा 161 Cr.P.C. दर्ज किया गया। नक्शा–नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जो पत्रावली में कागज सं0–18 के रूप मे संलग्न है। अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया।

पर्चा नं0 4 दिनांक 15.11.2022 को मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें वादिनी मुकदमा के 164 Cr.P.C. बयान कराये जाने का विवरण अंकित है। पर्चा नं0–5 दिनांक 15.11.2022 को किता कर पीड़िता के बयान 164 Cr.P.C का अवलोकन किया गया तथा अभियुक्त अभय प्रताप के घर उपस्थित आकर विवेचना में सहयोग करने के लिये तामील करायी गई नोटिस व उनके द्वारा मुझ विवेचक को अपना मोबाइल न उपलब्ध कराने का विवरण अंकित किया गया है। पर्चा नं0–6 दिनांक 16.11.2022 को किता कर अभियुक्त अभय प्रताप से सम्पर्क न होने पर उनके सीनियर अधिवक्ता प्रदीप जायसवाल जी से अभय प्रताप का मोबाइल नम्बर प्राप्त कर वार्ता कर उनका मोबाइल फोन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया तथा उनका मोबाहल नम्बर 9956530121 का कैफ (सिम किसके नाम से एलाट हुआ है) रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जो अभय प्रताप पुत्र बिच्छी प्रसाद नि0 ग्राम सेसवनिया महाराजगंज के आधार कार्ड से लिया जाना पाया गया था जिसका विवरण अंकित किया गया जो पत्रावली में कागज सं0–24/1 लगायत 24/2 व 25/1 लगायत 25/2 संलग्न है। पर्चा नं0–7 दिनांक 18.11.2022 को किता किया गया है जिसमें इस घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत की गई F.I.R. व्हाट्सग्रुपों पर वायरल होने पर वादिनी मुकदमा को F.I.R. की स्क्रीनशाट व उसमें अंकित व्हाट्सअप चिन्ह सहित वादिनी को भेजने पर वादिनी द्वारा भेजे गये इस संबंध में प्रार्थनापत्र का विवरण अंकित किया गया है। पर्चा नं0–8 दिनांक 23.11.2022 को किता किया गया जिसमें अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मोबाइल फोन उपलब्ध न कराने व 41(1) Cr.p.C. की नोटिस के अनुपालन का पालन न करने के कारण समय 1:45 बजे दिन उद्योग तिराहा से सात वर्ष से कम दण्ड से दण्डनीय अपराध होने के कारण भी अर्णनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मे पारित निर्णय मान0 उच्चतम न्यायालय के आधार पर गिरफ्तारी करते हुए उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त सैमसंग मोबाइल फोन बरामद करके मोबाइल मौके पर खोलकर मोबाइल में प्रयोग किये जा रहे सिम नम्बर 9956530121 व सिम नं0 8737830115 का विवरण अंकित करते हुए उनकी फेस बुक आई0डी0 प्रताप अभय/अभय प्रताप के 05 स्क्रीन शाट मौके पर लिये गये जिनमें उपरोक्त दोनों नम्बर अंकित हैं। स्क्रीन शाट पत्रावली में कागज सं0 13ख/1 लगायत 13ख/5 संलग्न हैं तथा Isha Agarwal को भेजे गये फेस बुक मैसेंजर से मैसेज की तीन स्क्रीनशाट कापी व उनके मोबाइल नम्बर सरकारी 9415321687 पर भेजे गये Text Msg. के तीन स्क्रीनशाट लिये गये जो पत्रावली में कागज सं0 13ख/9 लगायत 13ख/11 संलग्न हैं व कागज 13ख/12 मोबाइल फोन का स्क्रीनशाट संलग्न है तथा मौके पर ही मोबाइल की फर्द मुरत्तिव कर सम्पूर्ण विवरण अंकित कर फर्द मेरे द्वारा तैयार की गई। फर्द पत्रावली में कागज सं0 10ख संलग्न है

जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है उस पर हेड कांस्टेबल संजीव श्रीवास्तव व अभियुक्त अभय प्रताप के हस्ताक्षर हैं। फर्द पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। गिरफ्तारी से संबंधित चेक लिस्ट मेरे लेख व हस्ताखर में जो कागज सं0 11 ख के रूप में पत्रावली में संलग्न है जिस पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। अभियुक्त के पास से बरामद उसका मोबाइल फोन व अभियुक्त का दाखिला रोजनामचा आम में करके अभियुक्त का 14 दिवस रिमाण्ड प्राप्त किया गया। पर्चा नं0–9 दिनांक 23–11–2022 को किता किया गया जिसमें मोबाइल नं0 9415321687 (वादिनी मुकदमा) व मोबाइल नं0–8423869745 अज्ञात व्यक्ति का डेटा व कैफ की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु सर्विलांस सेल को भेजने का उल्लेख है। पर्चा नं0–10 दिनांक 30.11.2022 को किता किया गया जिसमें मोबाइल नं0–8423869745 के यूजर सिराज अहमद का प्राप्त होने का विवरण अंकित किया गया है तथा 9415321687 का डिटेल न प्राप्त होने तथा दिनांक 23–11–22 को प्रताप अभय/अभय प्रताप की फेसबुक आई0डी0 प्राप्त होने की जानकारी का विवरण अंकित किया गया है। पर्चा नं0–11 दिनांक 05–12–2022 को किता किया गया है जिसमें मोबाइल नम्बर 9415321687 व फेसबुक सर्विस प्रदाता कम्पनी से अभय प्रताप की डिटेल न प्राप्त होने का विवरण अंकित किया गया है व अभियुक्त के रिमाण्ड होने का विवरण अंकित किया गया है। पर्चा नं0–12 दिनांक 14.12.2022 को किता की गई है जिसमें अभय प्रताप फेसबुक आई0डी0 में प्रयुक्त सिम 87378301125 द्वारा जनरेट होने का फेसबुक सर्विस प्रदाता कम्पनी से डिटेल का विवरण प्राप्त होने का अंकित किया गया है तथा फेसबुक से प्राप्त डिटेल पत्रावली में कागज सं0–23ख/2 व 23ख/3 संलग्न है जिसमें मैं पुष्टि करता हूं तथा इस नम्बर की डिटेल प्राप्त करने हेतु सर्विलांस सेल महाराजगंज को रिपोर्ट भेजा जाना अंकित किया गया है तथा मोबाइल नं0 9415321687 का डिटेल न दिये पर नजारत अनुभाग से जानकारी करने हेतु रिपोर्ट देना अंकित किया गया है। पर्चा नं0–13 दिनांक 15.12.2022 को किता किया गया जिसमें अधिवक्ता सिराज अहमद के बयान अंकित किये गये हैं। पर्चा नं0–14 दिनांक 16.12.2022 को किता की गई है जिसमें मोबाइल नम्बर 9415321687 (वादिनी) व प्रताप अभय/अभय प्रताप की फेस बुक आई0डी0 जनरेट होने में मिला मोबाइल नं0–8737830115 की डिटेल विवरण अंकित किये गये हैं जिनमें 9415321687 न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज सुश्री ईशा अग्रवाल व मोवाइल नं0–8737830115 अभय प्रताप पुत्र बिच्छी प्रसाद नि0–सेसवनिया जनपद महाराजगंज के नाम से आधार कार्ड लगाकर लिया जाना पाया गया जिससे संबंधित आधार कार्ड कागज सं0 23ख/4 व 23ख/5 पत्रावली में संलग्न है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ व नजारत की रिपोर्ट–कागज सं0 23ख/1 पत्रावली में संलग्न है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ।

संकलित साक्ष्य के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त अभय प्रताप के विरुद्ध धारा 186, 228, 352, 353, 354, 354(डी), 506/509 I.P.C. व 67 I.T. Act में आरोप पत्र सं0 A-492/2022 दिनांक 16.12.2022 को मैंने प्रेषित किया आरोप पत्र पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। आरोप–पत्र दाखिल हाने के पूर्व लगायी गयी आपत्ति की पूर्ति करते हुए दि0 10–2–2023 को धारा–65-B साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र अभियुक्त के मोबाइल से लिये गये अभिलेखीय इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के संबंध में तैयार किया गया जो कागज सं0 7ख/2 संलग्न है। धारा–65-B साक्ष्य अधिनियम का यह प्रमाणपत्र मेरे द्वारा दिया गया है। प्रमाणपत्र पर बने अपने हस्ताक्षर व लेख की पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–13** डाला गया।

17:– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने सशपथ बयान किया कि जिस फेसबुक प्रोफाइल/एकाउण्ट से

वादिनी मुकदमा को फेस बुक मैसेन्जर से जो आई0डी0 जनरेट हुई थी उसका विवरण फेस बुक सर्विस प्रदाता कम्पनी द्वारा दिये गये डिटेल में अंकित है। फेसबुक जनरेट करने की तिथि मुझे याद नहीं है। पत्रावली देखकर गवाह ने बताया कि यह आई0डी0 18.5.2020 को मोबाइल नम्बर 8737830115 से जनरेट हुई थी। मोबाइल नं0 8737830115 की एक्टीवेट होने की तिथि पत्रावली को देखकर बता सकता हूँ यह मोबाइल नम्बर दिनांक 3–4–2021 को एक्टीवेट हुआ था। मैंने इस फोन नम्बर 8737830115 का कैफ निकलवाया था जो अभय प्रताप के नाम से आधार कार्ड था जो पत्रावली में संलग्न है। जब फेसबुक पर फेस बुक मेसेन्जर से मैसेज भेजे गये थे उसके डिवाइस के लागिन का डेटा फेसबुक से प्राप्त रिपोर्ट पर नहीं पाया गया। अभियुक्त अभय प्रताप वादिनी की फ्रेण्ड लिस्ट में है या नहीं मुझे नहीं मालूम है। यह भी मुझे जानकारी नहीं है कि अभियुक्त अभय प्रताप ने वादिनी को कोई फ्रेण्ड रिक्वेस्ट भेजी थी या नहीं। वादिनी की फेस बुक प्रोफाइल लॉक थी या नहीं मुझे नहीं मालूम है। मुझे जानकारी नहीं है कि वादिनी मुकदमा के मैसेन्जर पर मैसेज रिक्वेस्ट अभियुक्त का आया था या नहीं। दौरान विवेचना अभय प्रताप फेस बुक आई0डी0 से आये हुए मैसेज को वादिनी मुकदमा ने ब्लाक किया था इसका साक्ष्य पाया गया था। मुझे ब्लाक की तारीख याद नहीं है। दौरान विवेचना मैंने वादिनी मुकदमा का कोई भी फोन कब्जा पुलिस में नहीं लियाथा। मैंने मांगा भी नहीं था। वादिनी मुकदमा के द्वारा किये गये स्क्रीन शाट का मिलान उनके फोन से नहीं किया था। परन्तु अभियुक्त के मोबाइल फोन से लिये गये स्क्रीनशाट का मिलान वादिनी के द्वारा दिये गये स्क्रीन शाट से मिलान किया था। फेस बुक की रिपोर्ट साइबर सेल महाराजगंज द्वारा उपलब्ध करायी गई थी फेस के किस द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है यह पता नहीं है परन्तु समस्त विवरण ई मेल द्वारा भेजे जाते हैं व प्राप्त किये जाते हैं। यह भी मुझे याद नहीं है कि किस आई0डी0 से फेस बुक ने अपनी रिपोर्ट भेजी थी फिर कहा कि मुझे पता नहीं कि थाने की ई–मेल आई0डी0 पर यह रिपोर्ट साइबर सेल से प्राप्त हुई थी। साइबर सेल से ई–मेल आई0डी0 पर यह मेल प्राप्त होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। यह रिपोर्ट ई–मेल से प्राप्त हुई थी इसलिए अग्रसारण करने वाले अधिकारी का नाम उल्लिखित नहीं था। फेस बुक किस कम्पनी का है इसे दौरान विवेचना मेरे द्वारा जानकारी नहीं की गई। वादिनी की फेसबुक आई0डी0 मोबाइल नम्बर से बनी थी या ई–मेल आई0डी0 से बनी थी मुझे जानकारी नही है। मैंने विवेचना के दौरान यह जानकारी नहीं प्राप्त की थी। साइबर सेल से प्राप्त रिपोर्ट का कोई मेमो तैयार नहीं किया है। मोबाइल को चेक करने पर व उसके बताने पर प्राप्त साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया कि यह मोबाइल अभियुक्त का ही है। मुझे जानकारी नहीं है कि अभियुक्त ने यह मोबाइल कब खरीदा था न्यायालय कक्ष व विश्राम कक्ष वादिनी मुकदमा ईशा अग्रवाल के बीच में गैलरी थी। उस गैलरी में कोई कैमरा नहीं लगा है। मुझे यह नहीं मालूम कि न्यायकक्ष व विश्राम कक्ष के आने जाने के रास्ते में नजदीक सी.सी.टी.वी. कैमरा कहॉ लगा है। दौरान विवेचना घटनास्थल के आसपास कोई सी.सी.टी.वी. कैमरा नहीं दिखायी पड़ा। मैंने 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र पत्रावली में दाखिल किया है।

प्रश्नः– क्या आपने साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65बी(4)(बी) के अनुपालन में डिवाइस के विशिष्टियों (Particular) का उल्लेख किया?

उत्तरः– मेरे द्वारा 65बी साक्ष्य अधिनियम की उपधारा 4 के उपबन्धों का पूर्णतया पालन किया गया है।

प्रश्नः– क्या आप पत्रावली पर उपलब्ध 65बी साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दिये आपके द्वारा प्रमाणपत्र के किस पंक्ति संख्या में डिवाइस का विवरण दिया गया है?

उत्तरः– डिवाइस का विवरण विशेष रूप से अंकित नहीं है परन्तु विधि द्वारा स्थापित समस्त विवरण अंकित है।

मैंने 65B साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र पर डिवाइस के स्वामी का नाम अंकित नहीं किया है। 65B के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि डिवाइस मोबाइल फोन था या टेबलेट था या लैपटॉप था या पेनड्राइव इनका विशेष विवरण अंकित नहीं किया था। प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करते समय मैंने स्थान का उल्लेख नहीं किया है। मैंने फोन की स्क्रीन शाट अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद दिनांक 23.11.2022 को लिया था। स्क्रीन शाट लगभग 2.00 बजे दिन में लिया गया था। मैंने वादिनी से 65बी का प्रमाण–पत्र नहीं लिया था।

प्रश्नः– वादिनी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथन कि ''विवेचक को मैंने अपने मोबाइल पर आये Text Msg और फेस बुक आई0डी0 पर भेजे गये अशोभनीय/आपत्तिजनक मैसेज के संबंध 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में दिया था क्या यह सत्य है?

उत्तरः– इस कथन के संबंध में यह कहना है कि दौरान विवेचना वादिनी द्वारा मुझे कोई भी 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र नहीं दिया गया था विवेचना में उनके द्वारा सहयोग न करने व साक्ष्य को नष्ट कर देने की संभावनाओं को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मेरे द्वारा 91 Cr.P.C. की नोटिस अभियुक्त अभय प्रताप को देकर उनका मोबाइल फोन नहीं मांगा गया था। धारा 41(1) Cr.P.C. नोटिस पर दिनांक व स्थान डालने का विवरण मेरे द्वारा अंकित किया गया है जिसमें अभियक्त से मोबाइल फोन दिनांक 18.11.2022 तक मेरे समक्ष उपस्थित करने के लिये अंकित किया गया था।

मोवाइल नम्बर 9956530121 का कैफ लिया गया जो पत्रवली में संलग्न है। इसका CDR मैंने प्राप्त नहीं किया था। मोबाइल नं0 9415321687 का CDR प्राप्त नहीं किया था। अभय प्रताप व ईशा अग्रवाल से फोन पर वार्ता हुई या नहीं इसकी जानकारी मैंने नहीं की। मैंने अभय प्रताप की गिरफ्तारी उद्योग तिराहे से की थी। गिरफ्तारी मेमो पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। उद्योग तिराहे पर कोई पुलिस बूथ नहीं है।

प्रश्नः– क्या आपने किसी गवाह को गिरफ्तारी व बरामदगी फर्द पर गवाही के लिए 160 Cr.P.C. की नोटिस दी थी?

उत्तरः– अभियुक्त नामजद था। साक्ष्य संकलन करते हुए साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी की गई थी तथा घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया था धारा 160 Cr.P.C. की नोटिस नहीं दी गई थी।

मैं अंग्रेजी भाषा को अच्छे से समझता व जानता हूं। नकल रपट मेरे द्वारा तैयार नहीं की गई है।

प्रश्नः– तहरीर में वादिनी को अभियक्त हाथ पकड़ने का प्रयास किये जाने का कोई शब्द है ?

उत्तरः– तहरीर में इस तरह का कोई भी शब्द नहीं है।

विवेचना में यह कहीं भी नही मिला कि उन्होंने (वादिनी) अभय प्रताप को मैसेज भेजने से मना किया हो परन्तु विवेचना में यह साक्ष्य पाया गया है कि वादिनी ने अभियुक्त द्वारा फेसबुक मैसेन्जर से मैसेज भेजने पर उनपकी प्रोफाइल ब्लाक किया। ब्लाक करने से पूर्व कभी मना नहीं किया। इशारों से धमकाने (टाइप आफ गैसचर) का कोई Direct (प्रत्यक्ष) साक्ष्य नहीं मिला। यह मुझे जानकारी नहीं है

कि थाने पर यह प्रार्थनापत्र कौन व्यक्ति लाया था। प्रार्थिनी को F.I.R. की एक प्रति मेरे द्वारा रिसीव नहीं करायी गई। यह कहना गलत है कि वादिनी मुकदमा उसी जिले में न्यायिक पद पर नियुक्त थी और मैंने उनके दबाव में साक्ष्य न होते हुए भी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल किया। धारा 164 Cr.P.C. के बयान के लिए न्यायालय में उनसे जाकर मिला और उनको अपने साथ लेकर सी0जे0एम0 महाराजगंज महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। सी0जे0एम0 महो0 के आदेश के बाद वादिनी मुकदमा का सम्बन्धित न्यायालय में धारा 164 Cr.P.C. का बयान कराया गया।

18:– **पी0डब्लू0:–5 महिला कांस्टेबल ज्योत्सना त्रिपाठी पूर्व पोस्टिंग कोतवाली महराजगंज, वर्तमान तैनाती थाना–कोल्ली, महराजगंज** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक बयान किया किः–मैं कोतवाली जनपद–महाराजगंज में वर्ष 2020 से 2023 तक नियुक्त थी। मैं महिला कांस्टेबल सी0सी0टी0एन0एस0 कोतवाली महराजगंज के पद पर नियुक्त थी। मैं अ0सं0–577/2022 में गवाही दे रही हूं। मैंने इस मुकदमें में दिनांक–11.11.2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की थी। मुझे जरिये डाक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर मैनें मु0अ0सं0:–577/2022, अन्तर्गत धारा–352, 353, 354घ, 354, 506, 509 आई0पी0सी0 व धारा–67 आई0टी0 एक्ट बनाम अभय प्रताप सिंह के विरूद्ध पंजीकृत किया था। मैनें चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट सी0सी0टी0एन0एस0 पर मैनें टाइप किया था। मैनें मुकदमा अपराध संख्या–577/2022 की चिक किता किया था, जिस पर **प्रदर्श क–14** डाला गया। इस मुकदमें की जी0डी0 कायमी नम्बर याद नहीं। दिनांक–11.11.2022 को किता किया था। मैनें ही जी0डी0 को सी0सी0टी0एन0एस0 पर टाइप किया था, जो पत्रावली में संलग्न है, जिस पर **प्रदर्श क–15** डाला गया। इस मुकदमें के विवेचक ने मुझसे पूछताछ किया था और मैनें अपना बयान दिया था।

19:– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने सशपथ बयान किया कि मेरी थाने सामान्यतः ड्यूटी सुबह 09:00 बजे से 05:00 बजे तक रहती है। कार्यालय का समय 10:00–10:15 बजे व 05:00–05:15 बजे चले गये थे। उस समय मेरे थाने के न्यायालय का पैरोकार शशांक सिंह कांस्टेबल था। मुझे तहरीर जरिये डाक न्यायालय पैरोकार से प्राप्त हुई। न्यायालय के पैरोकार थाने से डाक 10:00 से 11:00 बजे के बीच डाक उठाते हैं। उसके बाद और भी काम निपटाने होते और इंस्पेक्टर साहब से अन्य आदेश प्राप्त करने के बाद न्यायालय जाते हैं। न्यायालय पैरोकार शाम को न्यायालय से डाक लेकर थाने आते हैं। न्यायालय पैरोकार थाने शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच आते हैं।

प्रश्नः– क्या दिनांक–11.11.2022 को न्यायालय पैरोकार इसी तरह सुबह जाकर शाम को वापस आये थे?

उत्तरः– जी हां। मैं जब इस मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट सी0सी0टी0एन0एस0 पर टाइप कर रही थी, तो उस समय सी0सी0टी0एन0एस0 में तैनात अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। तहरीर दिनांक–11.11.2022 को ही प्राप्त हुई थी। मैनें प्रथम सूचना रिपोर्ट की तीन प्रतियां प्रिन्ट की थीं। पहली प्रति विवेचक को दी गयी। दूसरी प्रति जरिये डाक वादिनी ईशा अग्रवाल को भेजी गयी। तीसरी प्रति न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु न्यायालय पैरोकार को दी गयी। विवेचक ने मेरा बयान कब लिया था। मुझे याद नहीं है। समय भी याद नहीं है। विवेचक ने मेरा बयान ड्यूटी के दौरान लिया था। सुबह या शाम को बयान लिया था। मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं जब एफ0आई0आर0 पंजीकृत कर रही थी, तो एस0एच0ओ0 साहब अपने कक्ष में थे। तहरीर टाइपशुदा था। मेरे आसपास देवरिया जनपद

न्यायालय के कम्प्यूटर आपरेटर बयान देते समय मौजूद हैं। एफ0आई0आर0 दर्ज करने के बाद इस प्रकरण में मेरी किसी से फोन पर बात नहीं हुई थी।

20:– अभियोजन द्वारा निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गयेः–

क0 सं0	**अभिलेखीय साक्ष्य**	**गवाह जिनके द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य परीक्षित कराया गया**
1	लिखित तहरीर प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0ः–1 सुश्री ईशा अग्रवाल
2	सोशल मीडिया प्लेटफार्म वाट्सएप पर अभियुक्त द्वारा किये गये मैसेज की प्रतियां प्रदर्श क–2 लगायत क–7	पी0डब्लू0ः–1 सुश्री ईशा अग्रवाल
3	वादिनी मुकदमा द्वारा आफिस–इन–चार्ज थाना–कोतवाली, जनपद–महराजगंज को प्रेषित पत्र की प्रति प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0ः–1 सुश्री ईशा अग्रवाल
4	वादिनी मुकदमा का बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0ः–1 सुश्री ईशा अग्रवाल
5	नक्शा नजरी प्रदर्श क–10	पी0डब्लू0ः–4 ध्यान सिंह चौहान निरीक्षक
6	फर्द बरामदगी प्रदर्श क–11	पी0डब्लू0ः–4 ध्यान सिंह चौहान निरीक्षक
7	आरोप पत्र प्रदर्श क–12	पी0डब्लू0ः–4 ध्यान सिंह चौहान निरीक्षक
8	गिरफ्तारी के लिये चेकलिस्ट धारा–41 (ए)(।।) सी0आर0पी0सी0 प्रदर्श क–12	पी0डब्लू0ः–4 ध्यान सिंह चौहान निरीक्षक
9	भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–65ख का प्रमाणीकरण प्रदर्श क–13	पी0डब्लू0ः–4 ध्यान सिंह चौहान निरीक्षक
10	एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–14	पी0डब्लू0ः–5 महिला कांस्टेबल ज्योत्सना त्रिपाठी
11	सामान्य दैनिकी विवरण की प्रतियां प्रदर्श क–15	पी0डब्लू0ः–5ज्योत्सना त्रिपाठी

21:– अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा घटना को गलत बताया गया तथा कथन किया कि पी0डब्लू0–1, 4 व 5 ने झूंठा बयान दिया है तथा पी0डब्लू0–2 के बयान का यह भाग

कि उसने अभियुक्त को पीड़िता के चेम्बर में आते–जाते नहीं देखा सत्य है। शेष कथन पी0डब्लू0–2 के व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित है तथा पी0डब्लू0–3 का कथन सत्य है। जिन गवाहों ने अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य दिये हैं उन्होनें रंजिशन व दबाववश दिये हैं। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य में डी0डब्लू0–1 अवनीश पाण्डेय को परीक्षित कराया है।

22:– अभियुक्त द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

23:– **डी0डब्लू0–1 अवनीश पाण्डेय पुत्र श्री सत्यदेव पाण्डेय उम्र 35 वर्ष, निवासी–पकड़ी सिसवां, थाना–मुमली, जनपद–महराजगंज** ने सशपथ बयान किया है कि मैं पेशे से वकील हूँ। मैं महाराजगंज सिविल कोर्ट में विधि व्यवसाय करता हूं। मैं अभियुक्त अभय प्रताप को वर्ष 2018 से जानता व पहचानता हूं। अभय प्रताप हमारे चैम्बर के बगल में अधिवक्ता प्रदीप जायसवाल के पास बतौर जूनियर काम करते थे। वर्तमान में भी उन्हीं के साथ विधि व्यवसाय कर रहे हैं। मैंने इस मुकदमें की प्राथमिकी को पढ़ा है। प्रथम बार तथाकथित घटना की जानकारी F.I.R. होने के कुछ दिन बाद जब कोर्ट परिसर में जब वादिनी मुकदमा द्वारा अभि0 को बुलाया गया था अभय प्रताप का व्यवहार महिलाओं के प्रति व किसी अन्य महिला अधिवक्ताओं के प्रति व कोर्ट परिसर में मौजूद अन्य महिलाओं के प्रति सम्मान व कुशल व्यवहार रहा जो मेरी जानकारी में है। वादिनी मुकदमा का व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति कोर्ट परिसर में अक्सर उग्र रहता था जिससे अधिवक्ता असंतुष्ट रहते थे और इसी व्यवहार के कारण अधिवक्ताओं द्वारा वादिनी मुकदमा के कोर्ट का पॉच दिवस तक बहिष्कार रहा। वादिनी मुकदमा द्वारा मेरे चैम्बर के बगल में स्थित अधिवक्ता सचिन कुमार चौधरी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की गई थी। वादिनी मुकदमा के चैम्बर व कोर्ट रूम की दूरी मात्र चार कदम थी। क्योंकि कोर्ट रूम के पीछे ही वादिनी मुकदमा का चैम्बर था। वादिनी मुकदमा के चैम्बर जाने का एक ही रास्ता था जो कोर्ट रूम से होकर गुजरता था। रास्ता डायस के ऊपर से होकर जाता था वहॉ बिना अनुमति कोई भी अधिवक्ता नहीं जा सकता था तथा अनुमति मिलने पर कोर्ट नाजिर के साथ ही चैम्बर में जाया जा सकता था।

24:– उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि मैं वर्ष 2017 में LLB कम्पलीट किया हूँ। मेरा पंजीयन वर्ष 2018 में हुआ था। मैं वर्ष 2018 से अधिवक्ता के रूप में श्री रवि शंकर त्रिपाठी के साथ सिविल कोर्ट महाराजगंज में कार्य शुरू किया था। मैं क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी जानकारी में जनपद महाराजगंज में 12 थाने व 03 कोतवाली हैं। महाराजगंज में कुल 35 न्यायालय हैं वर्तमान में 17 न्यायालय कार्यशील हैं। वादिनी मुकदमा वर्ष 2020–21 में सिविल जज अवर खण्ड (त्वरित न्यायालय) प्रथम में वादिनी मुकदमा नियुक्त हुई थी। माह दिसम्बर 2018 से मैं अलग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं उनकी कोर्ट में जाता था। मेरी कई फाइलें वादिनी मुकदमा के न्यायालय में विचाराधीन थीं। योगेश बनाम वृजेश 138 N.I. Act की पत्रावली वादिनी मुकदमा के न्यायालय में विचराधीन थी। इस मामले में अभियुक्त की जमानत वादिनी मुकदमा के न्यायालय में नहीं हुई थी। दूसरे न्यायालय में हुई थी। सरकार बनाम लवकुश के मामले में वादिनी मुकदमा के न्यायालय में जमानत मिली थी। शेष अभियुक्त जेल गये थे। महाराजगंज में हड़ताल कभी कभार होती है। बिना वजह नहीं होती है। अभियुक्त का चैम्बर मेरे चैम्बर से दस कदम की दूरी पर है। अभियुक्त के गॉव की जानकारी मुझे नही है। अभय प्रताप कब LLB किया मुझे जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी में वह मुझसे जूनियर हैं। अभय प्रताप ज्यादातर MACT की वकलात करते थे। मेरा व अभय प्रताप का संबंध अधिवक्ता की तरह है। मेरी अभय प्रताप से कोर्ट परिसर में अक्सर मुलाकात होती थी। वादिनी मुकदमा के

साथ मेरा व्यवहार अच्छा था। अभय प्रताप से वादिनी मुकदमा का कैसा संबंध था मुझे जानकारी नहीं है। वादिनी मुकदमा द्वारा अधिवक्ता सचिन चौधरी के विरुद्ध की गई थी क्यों की गई थी इसकी मुझे जानकारी नहीं है। वादिनी मुकदमा का व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ रूखा था। काम की अधिकता को लेकर वादिनी मुकदमा का व्यवहार रूखा था। यह कहना गलत है कि अधिवक्ता काम नहीं करते थे इसलिए उनका व्यवहार रूखा था। यह कहना गलत है कि अधिवक्ता सचिन चौधरी के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही और अधिवक्ताओं के प्रति सख्त रवैये की वजह से मैं उनके विरुद्ध गवाही देने आया हूं।

25:– मैनें अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों के साथ–साथ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का भी अवलोकन किया गया।

26:– हस्तगत मामले में आरोप पत्र तथा अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध विचारण अन्तर्गत धाराः–186, 228, 352, 353, 354, 354घ, 506, 509 भा0दं0सं0 व धारा–67 आई0टी0 एक्ट न्यायालय द्वारा किया गया। विचारण उपरान्त उक्त प्रकरण के तथ्यों के सम्यक विश्लेषण हेतु न्यायालय द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना हैः–

A. क्या अभियुक्त द्वारा अपने उक्त कृत्य से लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा कारित की?

B. क्या अभियुक्त द्वारा अपने कर्तव्यों से न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुये लोक सेवक का शाशय अपमान या विघ्न कारित की?

C. क्या अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा पर बिना किसी गंभीर एवं अचानक प्रकोपन होने से अन्यथा हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया गया है?

D. क्या अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा पर जो लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही थी, को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिये हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया?

E. क्या अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया?

F. क्या अभियुक्त ने इण्टरनेट का प्रयोग करते हुये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संवाद कायम करते हुये वादिनी मुकदमा की अरूचि का स्पष्ट संकेत होने के बावजूद बार–बार फेसबुक चैट व मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से पीछा किया व संपर्क साधा गया?

G. क्या अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी गयी?

H. क्या अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा पर लैंगिक आभाषी टिप्पणी कर लैंगिक उत्पीड़न किया गया?

I. क्या अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को इलेक्ट्रानिक रूप से ऐसी सामग्री का प्रकाशन या पारेषण किया गया, जो कामोत्तेजना या कामुकता की अपील करती है?

27. उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करने में यह तथ्य जरिये प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि

उक्त घटना का प्रारम्भ अभियुक्त अभय प्रताप अधिवक्ता जनपद–महाराजगंज उत्तर प्रदेश के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से फेसबुक व सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से वादिनी मुकदमा सिविल जज (जू0डि0) महाराजगंज उत्तर प्रदेश को प्रेषित मैसेज से प्रारम्भ हुआ। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा पीड़िता को जो भी मैसेज प्रेषित किये गये, उसमें पीड़िता की कोई भी स्वीकृति नहीं थी। अंततः अब अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा दिनांक–17.07.2022 को फेसबुक मैसेज के माध्यम से मध्य रात्रि लगभग 01:58 ए0एम0 पर यह मैसेज किया कि **"I Love You Isha** इस जनम में नहीं तो अगले जनम में तुझे पाने की कोशिश प्रयास करता रहूंगा और हो सके तो सातों जनम तक।'' उक्त मैसेज के पश्चात पीड़िता द्वारा उसके फेसबुक एकाउण्ट को ब्लाक कर दिया गया। उसके बाद भी अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा पीड़िता के आफिशियल मोबाइल नम्बर (सी0यू0जी0) 9415321687 प्राप्त कर उक्त मोबाइल पर **Text Message** भेजने लगा तथा दिनांक–08.11.2022 को सुबह 04:34 ए0एम0 पर अन्य मैसेजों के साथ यह भी भेजा कि **"I Love You Baby"** तत्पश्चात पीड़िता द्वारा अपनी गरिमा को सुरक्षित करने के उद्देश्य से दिनांक–11.11.2022 को कोतवाली, जनपद–महाराजगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी।

28. उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त अभय प्रताप के विरूद्ध आरोप पत्र मु0अ0सं0:–0577/2022, अन्तर्गत धारा–186, 228, 352, 353, 354, 354घ, 506, 509 भा0दं0सं0 व धारा–67 आई0टी0 एक्ट में प्रस्तुत किया गया। तदन्तर अभियोजन तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य समक्ष न्यायालय प्रस्तुत किये गये।

29. उक्त प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैं कि क्या अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जरिये फेसबुक मैसेंजर व सी0यू0जी0 मोबाइल पर प्रेषित अश्लील टेक्स्ट मैसेज के द्वारा एक न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक के साशय अपमान व उसके कार्य में विघ्न डालते हुये व हमला व आपराधिक बल के माध्यम से एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने तथा साथ ही स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला व आपराधिक बल का प्रयोग, शब्द अंग विक्षेप आदि द्वारा पीड़िता की लज्जा का अनादर व पीड़िता का इण्टरनेट के प्रयोग आदि के माध्यम से पीछा कर अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन व पारेषण करते हुये आपराधिक अभित्रास कारित किया गया?

30. उक्त अपराधों के सम्बन्ध में निम्नलिखित विधिक प्रावधान प्रावधानित हैं :– भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–354 यह प्रावधानित करती है कि **स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोगः–** ''जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। वह दोनों में से किसी भौतिक के कारावास से जिसकी अवधि 1 साल से कम नहीं होगी परंतु जो पांच वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।''

31. भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–352 यह प्रावधानित करती है कि गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्डः– जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गम्भीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी,

या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के अधीन किसी अपराध के दण्ड में कमी गम्भीर और अचानक प्रकोपन के कारण न होगी, यदि वह प्रकोपन अपराध करने के लिए प्रतिहेतु के रूप में अपराधी द्वारा इप्सित या स्वेच्छया प्रकोपित किया गया हो, अथवा

यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो विधि के पालन में, या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो, अथवा

यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गम्भीर और अचानक था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है।

32. भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–353 यह प्रावधानित करती है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोगः– जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणाम–स्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

33. उपरोक्त समस्त विधिक प्रावधानों का मुख्य संघटक यह है कि अभियुक्त द्वारा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो। इसलिये सर्वप्रथम बल, हमला व आपराधिक बल की परिभाषा को स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है।

34. भारतीय दण्ड संहिता की धारा–349 में बल को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः–कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति, गति–परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से, जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज से, जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, हो जाता है : परन्तु यह तब जबकि गतिमान, गति–परिवर्तन या गतिहीन करने वाला व्यक्ति उस गति, गति–परिवर्तन या गतिहीनता को एतस्मिनपश्चात् वर्णित तीन तरीकों में से किसी एक द्वारा कारित करता है।

35. इसी प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा–350 में आपराधिक बल को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः–जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्पति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिये या उस व्यक्ति को, जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति, भय या क्षोभ, ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से, या ऐसे बल के प्रयोग से सम्भाव्यतः कारित करेगा, यह जानते हुये साशय करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है।

36. इसी प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा–351 में हमला को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः–जो कोई, कोई अंगविक्षेप या कोई तैयारी इस आशय

से करता है, या यह सम्भाव्य जानते हुये करता है कि ऐसे अंगविक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंगविक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरणः—केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। किन्तु जो शब्द व्यक्ति प्रयोग करता है। वे उसके अंगविक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंगविक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं।

उक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जहां कहीं एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति में गति, गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित करता है या किसी ऐसे संस्पर्श से अन्य व्यक्ति की संवेदनशक्ति पर प्रभाव पड़ता हो वहां बल प्रयोग कहा जाता है और

उक्त बल प्रयोग के माध्यम से किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना उस व्यक्ति को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने के आशय से साशय कारित करता है या संभाव्य है कि वह कारित करेगा, तो यह कहा जायेगा कि आपराधिक बल का प्रयोग किया गया

तथा ऐसा कोई भी अंग विक्षेप या तैयारी जिससे वहां उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाये कि वह उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है वह हमला करता है।

37. प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा की लज्जाभंग करने के आशय से अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा हमला व आपराधिक बल की बात अभिकथित की गयी है। उक्त अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध हैं, के अन्तर्गत आता है। उक्त मामले में पी0डब्लू0–01 वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि मैं 18 जनवरी 2019 से 9 जनवरी 2023 तक जनपद न्यायालय महाराजगंज में अपर सिविल जज (जू0डि0), न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल जज (जू0डि0) के पद पर कार्यरत थी। जनपद–महाराजगंज के अधिवक्ता अभय प्रताप अपने फेसबुक एकाउण्ट से मेरे फेसबुक एकाउण्ट पर आपत्तिजनक मैसेज व मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से निरन्तर मैसेज भेजते थे। सर्वप्रथम दिनांक–29.09.2021 को रात के 12:27 बजे उनके द्वारा अपने फेसबुक एकाउण्ट से मेरे फेसबुक एकाउण्ट पर मैसेज भेजा गया था तथा अभियुक्त अभय प्रताप मेरे न्यायालय के विश्राम कक्ष के आसपास बिना किसी कार्य व कारण से उपस्थित होकर अशोभनीय भावभंगिमा के साथ न्यायालय के न्यायिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते थे और मेरा मानसिक उत्पीड़न करते थे। अभियुक्त अभय प्रताप कभी मेरे फेसबुक एकाउण्ट या किसी भी सोशल प्लेटफार्म से कनेक्ट नहीं रहे और न ही मेरे द्वारा कभी भी उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया और न ही उनका कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार किया। इसके बावजूद भी दिनांक–29.09.2021 को पहली बार फेसबुक पर मैसेज भेजा गया। दिनांक–01.11.2021 को रात के 08:57 बजे पर, 02.11.2021 को 07:49 पी0एम0 पर, 04.11.2021 को 04:31 पी0एम0 पर, 06. 12.2021 को 06:08 ए0एम0, 13.12.2021 को 06:17 ए0एम0, 25.12.2021 को 09:12 पी0एम0, 01.01.2022 को 09:39 पी0एम0, 26.04.2022 को 10:47 पी0एम0, 05.05.2022 को 07:22 पी0एम0, 16.07.2022 को 04:58 एम0एम0 तथा 17.07.2022 को 1:58 ए0एम0 पर अपने फेसबुक एकाउण्ट से मेरे फेसबुक एकाउण्ट पर अमर्यादित व अशोभनीय और मेरा मानसिक उत्पीड़न, मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से मैसेज किया था, जिसमें से दिनांक–26.04.2022 को समय 10:47 पी0एम0 पर यह मैसेज किया गया कि ''स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है, प्राथमिकता स्वास्थ्य ठीक करने की होनी चाहिये काम करने की नहीं। दिन प्रतिदिन फलाहार पर निर्भर रहना

शरीर कमजोर होने का कारण हो सकता है। मेरे ख्याल से फूड भी लेना चाहिये। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जायें **"God Bless You"** पुनः 05.05.2022 को शाम 19:22 बजे पर उसने यह मैसेज किया कि **"Attitude mai kam karna theek nahi hai, For future Court"** की स्थिति को normal करने की जरूरत है अधिवक्ताओं के बीच संतुलित माहौल बनाना होगा, तभी कोर्ट सही ढंग से चल पायेगी।'' पुनः 17.07.2022 समय 1:58 ए0एम0 पर उसने मेरे फेसबुक एकाउण्ट पर मैसेज किया **"I Love You Isha"** इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुझे पाने की कोशिश प्रयास करता रहूंगा और हो सके तो सातों जन्म तक।'' मैं अभियुक्त अभय प्रताप के इस आपत्तिजनक मैसेज से मानसिक रूप से तंग आकर और न्यायालय के न्यायिक कार्यों में व्यवधान महसूस होने के उपरान्त मैनें उसके फेसबुक एकाउण्ट को ब्लाक कर दिया, फिर भी अभय प्रताप अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसका फेसबुक एकाउण्ट अभय प्रताप के नाम से था, फिर अभियुक्त/अधिवक्ता अभय प्रताप मेरा आफिसियल मोबाइल नम्बर (सी0यू0जी0) 9415321687 प्राप्त कर उस पर Text Msg भेजने लगा। Text मैसेज जो मेरे आफिसियल मोबाइल नम्बर पर आया वह मोबाइल नम्बर 9956530121 से आया। Text msg दिनांक–08.11.2022 को 04:31 ए0एम0 पर फिर 04:32 ए0एम0, 4:34 ए0एम0 व दिनांक–09.11.2022 को सुबह 09:01 पर आया था। दिनांक–08.11.2022 को समय 04:31 ए0एम0 पर उसका Text msg यह था "Good Morning" आप कहां हैं उसी दिनांक को 04:32 ए0एम0 पर उसने यह Text msg भेजा कि ''मुझे बहुत फिक्र होती है आपकी'' इसी दिनांक को 04:34 ए0एम0 पर यह Text Msg भेजाा कि **"I Love You Baby"** मैनें अभियुक्त/अधिवक्ता अभय प्रताप के इस द्रष्टव्य को महिला अधिकारी होने के कारण जहां तक संभव हो सका बर्दाश्त करने की कोशिश की, किन्तु कोई विकल्प आता न देखकर अपनी महिला होने की गरिमा, अपने पद एवं सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था को बचाने एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से दिनांक–11.11.2022 को थाना–कोतवाली महाराजगंज में टाइप किया हुआ अंग्रेजी में प्रार्थनापत्र अपना हस्ताक्षर बनाकर दिया था। प्रार्थनापत्र पत्रावली में कागज संख्या 4क/5 लगायत 4क/6 शामिल मिसिल पत्रावली है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक करती हूं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। प्रार्थनापत्र के साथ मैनें 4 पृष्ठ फेसबुक मैसेज का स्क्रीनशाट लेकर उसकी प्रिंट आउट प्रति व 02 पृष्ठ Text msg की स्क्रीनशॉट लेकर उसकी प्रिंट आउट पर अपना लघु हस्ताक्षर बनाकर संलग्न किया था, जो पत्रावली में कागज संख्या 13ख/13 लगायत 13ख/18 संलग्न है, जिस पर बने अपने लघु हस्ताक्षर की पुष्टी करती हूं, जिस पर प्रदर्श क–2 लगायत प्रदर्श क–7 डाला गया। अभियुक्त/अधिवक्ता अभय प्रताप द्वारा मेरे डिस इन्ट्रेस्ट (Disinterest) शो के पश्चात भी अपनी शारीरिक व मैसेजेज से मेरी Privacy को Invade किया गया, जिससे मुझे काफी मानसिक आघात पहुंचा।

38. उक्त घटना के अनुक्रम में प्रेषित मैसेजों को पीड़िता द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–65बी के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रमाणित किया गया है, जिस पर प्रदर्श क–13 अंकित किया गया है, जिस पर किये गये हस्ताक्षर की पुष्टि पीड़िता द्वारा की गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में अंकित बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता को भी पीड़िता द्वारा साबित किया गया है, जिस पर प्रदर्श क–9 अंकित किया गया है। पीड़िता द्वारा लिखित तहरीर को भी साबित किया गया है, जिस प्रदर्श क–1 अंकित किया गया है तथा साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा किये गये मैसेजों को भी पीड़िता द्वारा साबित किया गया है, जो प्रदर्श क–2 लगायत क–7 तक अंकित किया गया है। पीड़िता द्वारा

आफिस–इन–चार्ज थाना–कोतवाली, जनपद–महाराजगंज को प्रेषित पत्र की प्रति को भी साबित किया गया है, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

39. विवेचक पी0डब्लू0ः–4 निरीक्षक ध्यान सिंह चौहान द्वारा नक्शा नजरी, फर्द बरामदगी, गिरफ्तारी चेक लिस्ट, आरोप पत्र को प्रमाणित किया गया, जिस पर प्रदर्श संख्या अंकित की गयी।

40. पी0डब्लू0ः–4 निरीक्षक ध्यान सिंह चौहान निरीक्षक वर्तमान तैनाती क्राइम ब्रांच गोरखपुर तत्कालीन विवेचक थाना महाराजगंज तथा पी0डब्लू0–5 ज्योत्सना त्रिपाठी प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखिका ने भी घटना का पूर्णतः समर्थन किया है।

41. धारा–354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला किया जाना आवश्यक है। वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी लिखित बहस में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं को वर्णित किया गया हैः–

42. उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Mrs. Rupan Deol Bajaj v. Kanwar Pal Singh Gill (AIR 1996 SC 309)** में यह प्रतिपादित किया गया है कि That in order to constitute the offence of outraging modesty, the act of the offender should be capable of shocking the sense of decency of woman.

43. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **State of Pujnab Vs. Major Singh (AIR 1967 SC 63)** में यह प्रतिपादित किया गया है कि The word "Modesty has to be viewed as an attribute of a human female irrespective of the fact whether the female has developed sufficient understanding to realise the detrimental nature of the act concerned.

44. इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुक्रम में बल तथा आपराधिक बल की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि जहां किसी व्यक्ति के संवेदनशक्ति पर कोई प्रभाव पड़ता हो, जिससे क्षति, भय या क्षोभ कारित हो। वह आपराधिक बल की श्रेणी में आ सकेगा। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा पीड़िता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश प्रेषित करते हुये तथा साथ ही पीड़िता के न्यायालय कक्ष के बाहर बिना किसी आवश्यकता के उपस्थित होने से पीड़िता की संवेदनशक्ति प्रभावित हुई तथा साथ ही पीड़िता को भय व क्षोभ भी कारित हुआ, जिससे न्यायिक कार्य बाधित हुआ। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को मध्यरात्रि को भी **I Love You Isha** का मैसेज भेजना लज्जाभंग करने के आशय से हमले की श्रेणी में आता है। अभियुक्त अभय प्रताप का बिना किसी कारण पीड़िता के न्यायालय में खड़े रहना व पीड़िता को देखते रहना यह स्पष्ट करता है कि अभियुक्त चाहता था कि/उसका आशय था कि पीड़िता उसे देखे और जवाब दे। उसके इस कृत्य वे पीड़िता असहज हो गयी तथा पीड़िता को भय व क्षोभ कारित हुआ।

45. जहां तक गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभाष का प्रश्न है, जैसाकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित व मौखिक बहस में आक्षेपित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **कालाभाई हमीरभाई कछोट बनाम गुजरात राज्य क्रिमिनल अपील नम्बर–216/2015** में यह मत व्यक्त किया कि जहां गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभाष है। ऐसे में उनकी सत्यता के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है वहां ऐसे सबूतों पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं हो सकता। सामान्य विसंगतियां किसी प्रकरण की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती हैं, परन्तु प्रस्तुत वाद में जिस विसंगति के बारे में तर्क दिया गया है यह तुच्छ प्रवृत्ति की है। पीड़िता द्वारा अपने बयानों में घटना का पूर्ण समर्थन किया गया है। जहां तक पक्षद्रोही साक्षियों के साक्ष्य का प्रश्न है, तो वे

साक्षीगण कहीं न कहीं अभियुक्त के प्रभाव से प्रभावित हो गये थे क्योंकि उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली पर दिनांक–27.07.2023 के आदेश पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है, जिसमें पीड़िता के बयान को अंकित करने से रोकने हेतु अधिवक्तागण के न्यायालय कक्ष के अन्दर आक्रोशित होने का वर्णन किया गया है। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–161 व धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता (प्रदर्श क–9) के अवलोकन से विदित है कि उक्त दोनों बयानों में कोई विरोधाभाष नहीं है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि धारा–352, 353 व धारा–354 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बल के अभाव में नहीं कारित होता। इसके लिये Physical Contact आवश्यक है। उक्त के सम्बन्ध में **माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय श्याम गुप्ता बनाम स्टेट आफ झारखण्ड क्रिमिनल रिवीजन नम्बर–271/2014 (2020) 4 JLJR 464 (HC)** में यह मत व्यक्त किया है कि:–

The Court is of the considered view that in order to outrage the modesty of a woman and commit an offence under Section 354 of IPC, the **physical touch of the victim is not an essential ingredient.** Upon applying the aforesaid test laid down and considered by the Hon'ble Supreme Court to the facts and circumstances of this case, this Court finds that the basic ingredients of offence under Section 354 of IPC are satisfied. इस प्रकार उपर्युक्त सम्प्रेक्षण के प्रकाश में अभियुक्त अभय प्रताप धारा–354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

46. चूंकि अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा पीड़िता की संवेदनशक्ति पर प्रभाव डालते हुये भय व क्षोभ कारित किया गया। इस प्रकार उनके द्वारा धारा–352 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध को भी कारित किया गया है।

47. अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा पीड़िता, जोकि एक लोक सेवक होते हुये अपने न्यायिक कार्य को संपादित कर रही थी, उनके न्यायालय में बिना किसी कारण उपस्थित रहते हुये उनकी संवेदनशक्ति को प्रभावित कर भय व क्षोभ कारित किया गया, जिसके द्वारा धारा–353 भारतीय दण्ड संहिता का भी अपराध कारित किया गया।

48. अग्रेतर अन्य बिन्दुओं पर विचार करते हुये यह विचार किया जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुये अश्लील संदेश प्रेषित किये गये तथा पीड़िता का पीछा किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित विधिक प्रावधान प्रावधानित किये गये हैं:–

49. भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–354डी यह प्रावधानित करती है कि

A. कोई पुरूष जो:–

(I) किसी महिला का उसके द्वारा दिखायी गयी अरूचि का स्पष्ट संकेत के बावजूद बार–बार व्यक्तिगत सामना को करने के लिये ऐसी महिला का पीछा करता है और संपर्क साधता है, या संपर्क करने का प्रयास करता है या

(II) उस महिला के द्वारा इण्टरनेट का प्रयोग, ई.मेल या इलेक्ट्रॉनिक संवाद का कोई अन्य रूप का प्रेक्षण करता है,

पीछा करने के अपराध को करता है:–

बशर्ते कि ऐसे व्यवहार पीछा करने के अपराध को गठित नहीं करेंगे यदि वह पुरूष जिसने पीछा किया यह साबित करता हो कि

(I) अपराध को पहचानने एवं रोकने के उद्देश्य से इसका पीछा किया गया और उस पुरूष को जो पीछा करने का आरोपित है, राज्य के द्वारा अपराध को पहचानने एवं रोकने की दायित्व सौंपी गयी थी, या

(II) किसी विधि के अधीन इसे पीछा किया गया या किसी विधि के तहत किसी व्यक्ति के द्वारा अधिरोपित आवश्यकता या शर्त के अनुपालन के लिये इसे पीछा किया गया,

(III) विशेष परिस्थितियों में ऐसे व्यवहार उचित एवं न्यायोचित थे।

B. जो कोई पीछा करने के अपराध को कारित करता है, वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में किसी भांति के कारावास के लिये दण्डित होगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित होगा और द्वितीय दोषसिद्धि पर या बाद के दोषसिद्धि पर दोनों में किसी अवधि के कारावास के लिये दण्डित होगा जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

50. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा–67 यह प्रावधानित करती है कि **अश्लील सामग्री का इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन या पारेषण करने के लिए दंड :–** जो कोई, इलैक्ट्रानिक रूप में, ऐसी सामग्री को प्रकाशित या पारेषित करता है अथवा प्रकाशित या पारेषित कराता है, जो कामोत्तेजक है या जो कामुकता की अपील करती है या यदि इसका प्रभाव ऐसा है जो व्यक्तियों को कलुषित या भ्रष्ट करने का आशय रखती है जो सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें अंर्तविष्ट या उसमें आरूढ़ सामग्री को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना है, पहली दोषसिद्धि पर, किसी भांति के कारावास में, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

51. प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा उनके मोबाइल नम्बर पर दिनांक–29.09.2021 से फेसबुक व मोबाइल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बिना वादिनी मुकदमा की इच्छा के दिनांक–09.11.2022 की सुबह 09:01 ए0एम0 तक लगातार विभिन्न अंतरालों पर संदेश प्रेषित किये जाते रहे, जिसमें **Hi, Good Night, Good Morning, Dhanterash ki Shubhkaamnaayen, Happy New Year 2022** आदि के साथ–साथ **I Love You Isha, I Love You Baby** आदि अश्लील संदेश को प्रेषित किया गया। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि इस जनम में नहीं तो अगले जनम में तुझे पाने की कोशिश प्रयास करता रहुंगा और हो सके तो सातों जनम।

52. उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के अवलोकन से यह विदित है कि अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा पीड़िता के अरूचि का स्पष्ट संकेत होने के बावजूद बार–बार व्यक्तिगत सामना करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्पर्क साधने का प्रयास करते रहे। पीड़िता द्वारा अभियुक्त द्वारा प्रेषित समस्त संदेशों का कोई भी जवाब न देते हुये अपनी गरिमा के साथ–साथ बार बेंच के रिलेशन की रक्षा हेतु अनदेखा कर दिया, परन्तु जब अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा **I Love You Isha, I Love You Baby** का मैसेज मध्य रात्रि में प्रेषित किया गया, तब पीड़िता द्वारा अभियुक्त अभय प्रताप के फेसबुक एकाउण्ट को ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा पीड़िता के सी0यू0जी0 नम्बर को प्राप्त कर टेक्स्ट मैसेज प्रेषित किये जाने लगा, जोकि पीछा करने के अपराध के अन्तर्गत आता है।

विवेचक द्वारा अभियुक्त के मोबाइल नम्बर की डिटेल्स प्राप्त की गयी, जिसमें उक्त मोबाइल नम्बर, जिस आधार कार्ड पर प्राप्त किया गया था, वह अभियुक्त अभय प्रताप पुत्र बिच्छी प्रसाद के नाम से प्राप्त किया गया था। उक्त अनुक्रम में फेसबुक चैट को साक्ष्य अधिनियम की धारा–65 बी के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रमाणित किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में यह कथन किया गया है कि पी0डब्लू0–1 द्वारा झूंठा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जोकि दूषित हेतु से दिया गया है, जिस पर विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बहस प्रस्तुत की गयी कि आई0डी0 18.05.2020 को मोबाइल नम्बर–8737830115 से जनरेट हुई, जबकि मोबाइल नम्बर–03.04.2021 को जनरेट हुआ था। इस प्रकार घोर विरोधाभाष उत्पन्न है।

53. उक्त के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था कालाभाई हमीरभाई कछोट बनाम गुजरात राज्य क्रिमिनल अपील नम्बर–216/2015 में यह मत व्यक्त किया कि जहां गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभाष है। ऐसे में उनकी सत्यता के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है वहां ऐसे सबूतों पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं हो सकता। सामान्य विसंगतियां किसी प्रकरण की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती हैं, परन्तु प्रस्तुत वाद में जिस विसंगति के बारे में तर्क दिया गया है यह तुच्छ प्रवृत्ति की है क्योंकि फेसबुक पर भेजे गये संदेशों को पीड़िता द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा–65 बी के द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिसे स्वयं के मोबाइल पर भेजे गये संदेशों को प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा कारित अपराध अन्तर्गत धारा–354डी भारतीय दण्ड संहिता पूर्णतया साबित है तथा अभियुक्त अभय प्रताप उक्त धारा–354डी भारतीय दण्ड संहिता में दण्डित किये जाने योग्य है।

54. जहां तक धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का प्रश्न है। अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा वादिनी मुकदमा को अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन या पारेषण करने के सम्बन्ध में पीड़िता पी0डब्लू0–1 द्वारा अपने बयान में अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा उनके मोबाइल नम्बर पर दिनांक–29.09.2021 से फेसबुक व मोबाइल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बिना वादिनी मुकदमा की इच्छा के दिनांक–09.11.2022 की सुबह 09:01 ए0एम0 तक लगातार विभिन्न अंतरालों पर संदेश प्रेषित किये जाते रहे, जिसमें **Hi, Good Night, Good Morning, Dhanterash ki Shubhkaamnaayen, Happy New Year 2022** आदि के साथ–साथ **I Love You Isha, I Love You Baby** आदि अश्लील संदेश को प्रेषित किया गया। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि इस जनम में नहीं तो अगले जनम में तुझे पाने की कोशिश प्रयास करता रहुंगा और हो सके तो सातों जनम। चूंकि उक्त समस्त संदेशों में से एक संदेश **I Love You Isha,** इस जनम में नहीं तो अगले जनम में तुझे पाने की कोशिश प्रयास करता रहुंगा और हो सके तो सातों जनम तक का संदेश दिनांक–17.07.2022 की मध्य रात्रि को लगभग 01:58 ए0एम0 पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फेसबुक पर अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा पीड़िता के फेसबुक एकाउण्ट पर प्रेषित किया गया, जो उक्त समय के अनुक्रम में कामोत्तेजक व कामुकता की अपील करती है। उक्त संदेश का प्रभाव किसी व्यक्ति को कलुषित या भ्रष्ट करने का आशय रखती है। उक्त समस्त इलेक्ट्रानिक संदेश (जिन पर प्रदर्श क–2 से क–7 अंकित है), को धारा–65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रमाणित किया गया है तथा साथ ही धारा–161 व धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों, जिसे प्रदर्श क–9 से साबित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा किया गया उक्त कृत्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा–67 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है तथा अभियुक्त

अभय प्रताप उक्त धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दण्डित किये जाने योग्य है।

55. अग्रेतर अन्य बिन्दुओं पर विचार करते हुये यह विचार किया जाना है कि क्या अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा पीड़िता को आपराधिक अभित्रास कारित किया गया तथा साथ ही यह भी विचार किया जाना है कि क्या शब्द, अंग विक्षेप या कार्य, जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिये आशयित है, अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा कारित किया गया।

56. **भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–506 यह प्रावधानित करती है कि आपराधिक अभित्रास के लिए दण्डः–**जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

57. यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो. तथा यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर अस्तित्व का लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

58. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीड़िता पी0डब्लू0–1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में इस प्रश्न कि ''आपको 14.11.2022 को आपके न्यायालय के किन कर्मियों द्वारा सूचित किया गया कि अभियुक्त अभय प्रताप आपके न्यायालय में उपस्थित होकर आपको धमकी दे रहा है। इसके जवाब में पीड़िता द्वारा बताया गया कि मुझे मेरे न्यायालय के पेशकार द्वारा बताया गया कि जिस अधिवक्ता के ऊपर आपने एफ0आई0आर0 किया है, उनके द्वारा धमकी दी जा रही है कि मैडम से कह दो अपना मुकदमा वापस ले लें। मैं वकील हूं। मेरा कुछ भी नहीं होगा। अन्य अभियोजन साक्षियों ने भी उक्त धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

59. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्षियों के अवलोकन से यह विदित है कि अपराध अन्तर्गत धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के सम्बन्ध में जो साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हैं, वे अनुश्रुत साक्ष्य **(Hearsay)** की कोटि के हैं, जोकि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। इस प्रकार अभियुक्त अभय प्रताप के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर साबित होना नहीं पाया जाता है।

60. भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–509 यह प्रावधानित करती है कि **शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित हैः–**जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

61. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा–509 भारतीय दण्ड संहिता के सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त अभय प्रताप मेरे न्यायालय के विश्राम कक्ष के आस–पास बिना किसी कार्य व कारण के उपस्थित

होकर **अशोभनीय भाव भंगिमा** के साथ न्यायालय के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते थे। पीड़िता से प्रतिपरीक्षा में यह पूछे जाने पर कि अभियुक्त अभय प्रताप आपके चैम्बर के पास कब आये थे। यह मेरे चैम्बर के पास कब आये। यह मैं नहीं जानती, परन्तु जब भी मैं बाहर निकलती थी, तो अधिकतर समय अभियुक्त अभय प्रताप गैलरी में खड़े रहते थे। इस प्रश्न पर कि क्या अभियुक्त अभय प्रताप को किसी और व्यक्ति ने गैलरी में खड़े देखा, के जवाब में पीड़िता द्वारा बताया गया कि यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि मैनें अभियुक्त अभय प्रताप को गैलरी में देखा था। किसी के द्वारा देखा गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बहस प्रस्तुत की गयी कि धारा–509 के अपराध के लिये स्पष्ट भाव भंगिमा बताया जाना आवश्यक है, परन्तु पीड़िता द्वारा कोई स्पष्ट भाव–भंगिमा नहीं बतायी गयी है। न्यायालय का यह मत है कि पीड़िता एक न्यायिक अधिकारी है। उनके द्वारा अभिव्यक्त रूप से अभियुक्त के द्वारा प्रदर्शित भाव–भंगिमाओं को मात्र नामित न किये जाने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा कोई अशोभनीय भाव–भंगिमाएं नहीं बनायी गयीं। मात्र इतना ही आधार पर्याप्त है कि एक महिला के चरित्र व व्यवहार के प्रति अशोभनीय व्यवहार प्रस्तुत किया गया, जोकि उसकी शीलता पर अपमान है। उक्त भाव–भंगिमाओं को समर्थन अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा भेजे गये इलेक्ट्रॉनिक संदेशों से प्राप्त होता है। अपने कथनों का समर्थन पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 व धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा कारित अपराध अन्तर्गत धारा–509 भारतीय दण्ड संहिता पूर्णतया साबित है तथा अभियुक्त अभय प्रताप उक्त धारा–509 भारतीय दण्ड संहिता में दण्डित किये जाने योग्य है।

62. अग्रेतर अन्य बिन्दुओं पर विचार करते हुये यह विचार किया जाना है कि क्या अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में बाधा डाली गयी तथा न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुये लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न डाला गया।

63. **भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–186 यह प्रावधानित करती है कि लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालनाः–** जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

64. **भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–228 यह प्रावधानित करती है कि न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक–सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ नः–** जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय, जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, साशय कोई अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

65. अभियुक्त अभय प्रताप के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–186 तथा धारा–228 का भी आरोप विरचित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त अभय प्रताप मेरे विश्राम कक्ष के आसपास बिना किसी कार्य व कारण के उपस्थित होकर अशोभनीय भाव–भंगिमा के साथ न्यायालय के न्यायिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते थे और मेरा मानसिक उत्पीड़न करते थे। उक्त के सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 व धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी कथनों का समर्थन किया गया है, परन्तु विधिक प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय–14 जहां

आपराधिक कार्यवाहियों को प्रारम्भ करने की अपेक्षित शर्तें बतायी गयी हैं, जिसकी धारा–195 में यह प्रावधानित किया गया है किः–

66. **धारा–195 दण्ड प्रक्रिया संहिता** जो कोई न्यायालय

क (I) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा–172 से धारा–188 तक की धाराओं के (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धारायें भी हैं) अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, अथवा

(II) ऐसे अपराधों के किसी दुष्प्रेरण या ऐसा अपराध करने के प्रयत्न का, अथवा

(III) ऐसा अपराध करने के लिये किसी आपराधिक षड़यंत्र का,

संज्ञान संबद्ध लोक सेवक के, या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, लिखित परिवाद ही करेगा, अन्यथा नहीं

ख (I) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं अर्थात 193 से 196 (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं), 199, 200, 205 वे 211 (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) और 228 में से किन्हीं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है अथवा

(II) धारा–463 में वर्णित या धारा–471, धारा–475 या धारा–476 के अधीन दण्डनीय अपराध का या न्यायालय के समक्ष पेश की गयी किसी दस्तावेज के बारे में अथवा

(III) उपखण्ड एक या उपखण्ड दो में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करने का आपराधिक षड़यंत्र या प्रयत्न या दुष्प्रेरण के अपराध का

संज्ञान ऐसे न्यायालय के या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के जिसे वह न्यायालय इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत करे, या किसी अन्य न्यायालय के जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है **लिखित परिवाद पर ही करेगा अथवा नहीं।**

67. इस प्रकार उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के प्रकाश में अन्तर्गत धारा–186 व धारा–228 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का विचारण किया जाना न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है क्योंकि उक्त अपराधों का विचारण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–195 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अभियुक्त अभय प्रताप के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–186 व धारा–228 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–195 के अन्तर्गत विधिक अनुपालन के अभाव में अभियोजन अपर्याप्त पाया जाता है।

68. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता के चैम्बर के बगल में ही स्टेनो कक्ष है, जो घटना का सक्षम साक्षी था उसे पीड़िता द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया।

69. उक्त के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था State of Himachal Pradesh Vs. Raghubir Singh (1993) 2 SCC 622 में यह मत व्यक्त किया गया है किः–

70. this court held that there is no legal compulsion to look for any other evidence to corroborate the evidence of prosecutix before recording an order of conviction. Evidence has to be weighed and not counted.

71. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **Phool Singh Vs. State of M.P. (Criminal Appeal No. 1520 of 2021)** में यह मत व्यक्त किया गया है कि:–

72. "Nothing has been specifically pointed out why the sole testimony of the prosecutrix should not be believed...........

In the case of Ganesan (Supra), this Court has observed and held that there can be a conviction on the sole testimony of the victim/prosecutrux when the deposition of the prosecutrix is found to be trustworthy, unblemished, credible and her evidence is of sterling quality............

73. **In State of Punjab v. Gurmit Singh State of Punjab v. Gurmit Singh, (1996) 2 SCC 384,** this Court held that in cases involving sexual harassment, molestation, etc. the court is duty-bound to deal with such cases with utmost sensitivity. Minor contradictions or insignificant discrepancies in the statement of a prosecutrix should not be a ground for throwing out an otherwise reliable prosecution case. Evidence of the victim of Sexual assault is enough for conviction and it does not require any corroboration."......In case involving sexual molestation, supposed considerations which have no material effect on the veracity of the prosecution case or even discrepancies in the statement of the prosecutrix should not, unless the discrepancies are such which are of fatal nature, be allowed to throw out an otherwise reliable prosecution case................

74. The 05 judges bench of the Hon'ble Supreme Court in the matter of **NEERAJ DUTTA Vs. State (GOVT. OF N.C.T. OF DELHI), Criminal appeal No. 1669 OF 2009** decided on 15 December, 2022, stated that, this Court cautioned that even if a witness is treated as "hostile" and is cross-examined, his evidence cannot be written off altogether but must be considered with due care and circumspection and that part of the testimony which is creditworthy must be considered and acted upon. It is for the judge as a matter of prudence to consider the extent of evidence which is creditworthy for the purpose of proof of the case. In other words, the fact that a witness has been declared "hostile" does not result in an automatic rejection of his evidence. Even, the evidence of a "hostile witness" if it finds corroboration from the facts of the case may be taken into account while judging the guilt of the accused. Thus, there is no legal bar to raise a conviction upon a "hostile witness" testimony if corroborated by other reliable evidence.

75. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त अभय प्रताप का मोबाइल नम्बर पर फेसबुक आई0डी0 जनरेट करने की दो तिथियां बतायी गयी हैं। प्रथम 18.05.2020 तथा द्वितीय 03.04.2020, जिन तिथियों पर आई0डी0 एक्टिवेट की गयी, जिसे विवेचक/साक्षी पी0डब्लू0–4 द्वारा अपने साक्ष्य में अभिकथित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। साथ ही यह भी बहस प्रस्तुत की गयी कि अभियुक्त अभय प्रताप की गिरफ्तारी 01:45 पी0एम0 पर की गयी तथा स्क्रीनशॉट 02:00 पी0एम0 पर लिया गया था, लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि 15:37, 15:39, 15:40 आदि समयों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–65–बी (2) (c) के अन्तर्गत जब डिवाइस समुचित रूप से कार्य न कर रही हो, तो उसके द्वारा प्राप्त स्क्रीनशॉट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा।

76. उक्त तर्क/आपत्तियों के सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि अभियुक्त अभय प्रताप के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पीड़िता से प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वयं यह प्रश्न किया गया कि अभियुक्त के द्वारा जरिये मैसेज किन–किन अपशब्दों का प्रयोग आपके

लिये किया गया, जिसमें पीड़िता द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया गया कि दिनांक 05 मई 2022 को अभियुक्त यह मैसेज कि "Attitude" में काम करना ठीक नहीं है For Future कोर्ट की स्थिति को नार्मल करने की जरूरत है। तभी कोर्ट सही ढंग से चल पायेगी, फिर 17 जुलाई 2022 का मैसेज "I Love Your ISHA" इस जन्म नहीं तो हर जन्म तुम्हें पाने का कोशिश प्रयास करता रहूँगा और हो सके तो सातों जन्म यह मैसेज फेस बुक पर आये थे तथा मेरे आफीसियल मोवाइल नं0 [CUG No.] 9415321687 पर 8.11.2022 को अभियुक्त ने मुझे मैसेज किया ''आप कहॉ हैं मुझे बहुत फिक्र होती है आपकी I LOVE YOUR BABY.

77. उक्त प्रतिपरीक्षा से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा मैसेज भेजे गये हैं। अतएव् अन्य किसी प्रमाणित साक्ष्य द्वारा अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा पीड़िता को भेजे गये संदेशों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

78. उक्त प्रस्तुत प्रकरण के समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि महाराजगंज जिला न्यायालय में नियुक्त एक महिला अधिकारी के साथ उसकी लज्जा भंग किये जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक माध्यम से उसे लगातार अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा संदेश प्रेषित किये गये और जब उक्त अधिकारी की सहन करने की सीमा से गतिविधियां आगे बढ़ने लगीं, तब अपनी मर्यादा व लज्जा की रक्षा के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जिस पर विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जब उक्त प्रकरण में पीड़िता के साक्ष्य की कार्यवाही होनी थी, तब दिनांक–27.07.2023 को महाराजगंज न्यायालय परिसर के कुछ अधिवक्तागण द्वारा सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में अधिवक्तागण के हुजूम द्वारा न्यायालय कक्ष के बाहर नारेबाजी की गयी तथा किसी द्वारा यह भी कथन किया गया कि आज इस महिला का बयान अंकित किया गया, तो न्यायालय में तोड़फोड़ की जायेगी एवं पीड़िता के साथ मारपीट व अभद्रता की जायेगी। माहौल की संवेदनशीलता को देखते हुये तात्कालिक न्यायिक अधिकारी द्वारा न्यायालय के सुरक्षा अधिकारी को सूचना प्रेषित की गयी और पत्रावली लंच के बाद नियत की गयी। पुनः लंच बाद पत्रावली पेश होने पर अधिवक्तागण के हुजूम द्वारा नारेबाजी शुरू कर दी गयी। भीड़ मारपीट व अभद्रता पर उतारू थी, जिस कारण पीड़िता का बयान अंकित नहीं किया जा सका। उक्त घटना की सूचना सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया गया तथा पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनांक–05.08.2023 को नियत की गयी।

79. उक्त परिस्थितियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक महिला अधिकारी, जिसकी उस जिले में प्रथम नियुक्ति थी, को समाज का एक विकृत रूप का सामना स्वयं एक पीड़ित के रूप में करने को मिला। उक्त घटना के पश्चात पत्रावली को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा निष्पक्ष विचारण हेतु लखनऊ जिला न्यायालय को अंतरित कर दिया गया। इस प्रकार उक्त घटना अपराध किये जाने की स्पष्ट मंशा को प्रदर्शित करती है।

80. पीड़िता के साथ जो अपराध अभियुक्त द्वारा कारित किया गया वह एक प्रकार का व्यक्तिगत जानकारी में होने वाला अपराध था, जो इलेक्ट्रानिक संदेश के माध्यम से कारित किया गया। यदि पीड़िता द्वारा उक्त अपराध के प्रति आवाज नहीं उठायी गयी होती, तो वह आवाज दबी रह जाती। अभियुक्त द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से अश्लील संदेश मध्यरात्रि में भेजना व न्यायालय में पीड़िता के समक्ष अनावश्यक बिना किसी औचित्य के उपस्थित रहकर उसकी संवेदनाओं को उसी प्रकार प्रभावित किया है, जैसे हम किसी व्यक्ति को सम्मान प्रदान करने के लिये उपहार के तौर पर पुष्पगुच्छ प्रदान करते हैं, जिसका अपने आप में कोई बड़ा आर्थिक मूल्य नहीं होता,

लेकिन वह एक पुष्पगुच्छ हमारी समस्त भावनाओं, विचारों व संवेदनाओं को व्यक्त कर देता है। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति द्वारा अपने तुच्छ विचारों (Lust) के साथ किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति (महिला) के साथ अपनी भावना शब्दों, अंगविक्षेप या किसी कार्य द्वारा उक्त भावनाओं को व्यक्त करता है, तो वे भावनाएं, विचार व संवेदनाएं भी उसी प्रकार नकारात्मक रूप में उस व्यक्ति तक संप्रेषित हो जाती हैं, जिसे वह व्यक्ति पूर्णतः उसी प्रकार ग्रहण करता है, जैसे अच्छी भावनाओं को।

81. किसी व्यक्ति के विचार उसके कार्यों में प्रकट होते हैं। उक्त प्रकरण में अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा अपनी एकपक्षीय उत्पन्न गलत विचारों को पीड़िता की इच्छा के बिना जरिये इलेक्ट्रानिक संदेश प्रेषित किया, जोकि पीड़िता की मानसिक संवेदना को प्रभावित किया, जिससे लज्जा भंग करने के अपराध के साथ–साथ अन्य अपराधों का गठन हुआ, जिसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से साबित किया गया।

82. इस प्रकार उपर्युक्त सम्प्रेक्षण के प्रकाश में यह विदित है कि अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा वादिनी मुकदमा की लज्जा भंग करने के आशय से वादिनी मुकदमा को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जरिये फेसबुक मैसेंजर व सी0यू0जी0 मोबाइल पर प्रेषित अश्लील टेक्स्ट मैसेज के द्वारा हमला व आपराधिक बल के माध्यम से एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने तथा साथ ही स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला व आपराधिक बल का प्रयोग, शब्द अंग विक्षेप आदि द्वारा पीड़िता की लज्जा का अनादर व पीड़िता का इण्टरनेट के प्रयोग आदि के माध्यम से पीछा कर अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन व पारेषण का अपराध कारित किया गया। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये साक्षी द्वारा अभियुक्त का निर्दोष होना साबित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त अभय प्रताप के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–352, 353, 354, 354डी, 509 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के दण्डनीय अपराध से युक्ति–युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है, तद्नुसार अभियुक्त अभय प्रताप अन्तर्गत धारा–352, 353, 354, 354डी, 509 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषी पाया जाता है। अभियुक्त अभय प्रताप अन्तर्गत धारा–352, 353, 354, 354डी, 509 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है तथा धारा–186, 228, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

83. अभियुक्त अभय प्रताप को अन्तर्गत धारा–352, 353, 354, 354डी, 509 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है तथा धारा–186, 228, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त अंतरिम जमानत पर है। अभियुक्त के व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं। प्रतिभुओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली कुछ देर बाद पेश हो।

(कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा)
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(कस्टम), लखनऊ।

<u>दिनांकः–25.02.2025</u>

84. पत्रावली पुनः पेश हुई। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जा चुका है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है, जिसके पेशे पर मुकदमा के कारण असर पड़ा है। अभियुक्त कम उम्र का व्यक्ति है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रोबेशन का लाभ प्रदान करने हेतु बल दिया गया तथा साथ ही सामुदायिक सेवा के लिये न्यायालय से सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाये जाने का भी अनुरोध किया गया। अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

85. विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रावधानित दण्ड के अनुसार अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है। अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त अभय प्रताप अधिवक्ता है तथा पीड़िता न्यायिक अधिकारी है, जिस कारण यह अपराध अत्यधिक गंभीर प्रकृति का है।

86. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की लज्जा भंग करने के आशय से अभियुक्त अभय प्रताप द्वारा वादिनी मुकदमा को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जरिये फेसबुक मैसेंजर व सी0यू0जी0 मोबाइल पर प्रेषित अश्लील टेक्स्ट मैसेज के द्वारा हमला व आपराधिक बल के माध्यम से एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने तथा साथ ही स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला व आपराधिक बल का प्रयोग, शब्द अंग विक्षेप आदि द्वारा पीड़िता की लज्जा का अनादर व पीड़िता का इण्टरनेट के प्रयोग आदि के माध्यम से पीछा कर अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन व पारेषण का अपराध कारित किया गया। अपराध गंभीर प्रकृति का है। वादिनी मुकदमा एक न्यायिक अधिकारी है तथा अभियुक्त एक विद्वान अधिवक्ता है। न्यायालय की राय में अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात अभियुक्त दोषी पाया गया है तथा अभियुक्त को अधिक कठोर दण्ड से दण्डित करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

87. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गयी है। चूंकि अभियुक्त द्वारा एक सम्मानित महिला के विरूद्ध अपराध कारित किया गया है, जो एक महिला व सामाजिक अपराध की श्रेणी के अपराध के अन्तर्गत आता है। ऐसे में उसे प्रोबेशन अधिनियम के प्राविधानों का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है। अभियुक्त द्वारा दूषित आशय से महिला का पीछा किया गया है तथा छेड़छाड़ करने के आशय से अपराध कारित किया गया है।

88. अतः सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त अभियुक्त को धारा–352, 353, 354, 354डी, 509 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अपराध में साधारण कारावास की सजा व जुर्माने से दण्डित किया जाना तथा धारा–186, 228 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>दण्डादेश</u>

89. अभियुक्त अभय प्रताप को धारा–352 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध करते हुये 03 माह का साधारण कारावास तथा धारा–353 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध करते हुये 02 वर्ष का साधारण कारावास तथा धारा–354 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध करते हुये 03 वर्ष का साधारण कारावास व रूपये 5,000/–(पांच

हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड तथा धारा–354डी भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध करते हुये 03 वर्ष का साधारण कारावास व रूपये 5,000/–(पांच हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड तथा धारा–509 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध करते हुये 01 वर्ष का साधारण कारावास व रूपये 1,000/–(एक हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड तथा व धारा–67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दोषसिद्ध करते हुये 03 वर्ष का साधारण कारावास व रूपये 50,000/–(पचास हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

90. अभियुक्त को धारा–186, 228 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

91. कुल अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त का सजायावी वारण्ट बनाकर जिला कारागार लखनऊ भेजा जाये। इस निर्णय की एक प्रति नियमानुसार अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांकः–25.02.2025

(कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा)
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(कस्टम), लखनऊ।

उक्त निर्णय/आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः–25.02.2025

(कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा)
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(कस्टम) लखनऊ।

Digitally signed by KUWAR MITRESH SINGH KUSHWAHA
Date: 2025.02.25 18:44:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court